निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ़ 1943 (श0)
(सं0 पटना 567) पटना, सोमवार, 5 जुलाई 2021

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
2 जुलाई 2021

सं०—04/वी०मु०—20—17/21—1652/एम०—खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा— 15 के साथ सह पठित धारा— 23 ग एवं धारा— 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के संबंध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** —(1) यह नियमावली बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **नियम— 17(6)(v) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 17(6)(vi) जोड़ा जायेगा :—**
   17(6)(vi)—खनन योजना का हस्तानान्तरण:—किसी भी खनिज समानुदान के समयपूर्व समाप्त किये जाने अथवा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में अनुमोदित खनन योजना नये बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी/समानुदानधारी के साथ बंदोबस्ती की स्थिति में स्वतः स्थानान्तरित समझी जायेगी।
3. **नियम— 18(3) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 18(4) जोड़ा जायेगा :—**
   18(4)—पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तानान्तरण:—सरकार द्वारा विधि मान्य प्रक्रिया से बंदोबस्ती/अनुज्ञप्ति/समानुदान रद्द किये जाने या विधिक कार्रवाई या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में वैसे खनिज अनुदान/पट्टा/बालूघाट/बालू खण्ड/खदान के लिए स्वीकृत पर्यावरणीय स्वीकृति जिस अवधि के लिए पूर्व में निर्गत हो, उसे विधिमान्य ईकाई (Entity) को निर्धारित या विस्तारित अवधि के लिए स्थानान्तरित की जायेगी।
   इसके लिए सहायक निदेशक (मु0)/निदेशक खान/ संयुक्त सचिव या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी स्थानान्तरणकर्त्ता के रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अधिकृत होंगे।
4. **उप नियम— 29च के प्रथम पंक्ति में शब्द 'सकेगा' को शब्द 'करेगा' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।**
5. **नियम— 30(4) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 30(5) जोड़ा जायेगा :—**
   30(5) जो कोई भी उप नियम 30(1), (2) एवं (4) का उल्लंघन करता है एवं भुगतान करने से इन्कार करता है तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा कारावास से जिसे 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, से दण्डनीय होगा।
6. **नियम— 39 का उप नियम— (3) निम्नवत संशोधित किया जायेगा :—**

39 (3). जो कोई भी यदि प्रपत्र 'ज' में एक रजिस्टर संधारित करने अथवा प्रपत्र 'ट' में लाइसेंस प्राप्त करने अथवा प्रपत्र 'झ' में अथवा विहित प्रपत्र में चालान निर्गत करने में असफल रहता है वह नियम–56 के तहत दंड का दायी होगा।

7. नियम–56 निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

56. खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारणः–(1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में, उत्खनन या निकासी या खनन संक्रियाएं इस नियमावली के अधीन खनिज समानुदान, या अनुज्ञप्ति या अन्य किसी अनुमति के बिना या परिवहन या भंडारण या परिवहन का कारण या किसी खनिज का भंडारण बिना वैध चालान या अनुज्ञप्ति के नहीं करेगा।

(2) जो कोई भी उपरोक्त उप–नियम का उल्लंघन करेगा वह साधारण कारावास से जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा जुर्माने से जिसे पाँच लाख रूपये तक तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनो से दंडनीय होगा।

परन्तु जिला का खनन पदाधिकारी या सहायक, उप, अपर निदेशक या निदेशक खान या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी अभियोजन संस्थित के पूर्व या पश्चात् उपरोक्त नियम के उल्लंघन के लिए निम्नवत निर्धारित खनिज मूल्य एवं शमन शुल्क के भुगतान के पश्चात् अपराध का शमन कर सकेगा :–

क्रम सं0	वाहन / उपकरण	शमन शुल्क (रू0 में)
1	2	3
1.	ट्रैक्टर ट्रॉली	25000 / –
2.	मेटाडोर / हाफ ट्रक 407, 608	50000 / –
3.	फुल बॉडी ट्रक / डम्पर (हाइड्रोलिक 06 चक्का वाहन)	100000 / –
4.	10 एवं इससे अधिक चक्का के वाहन	200000 / –
5.	क्रेन, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेशर, ड्रिलिंग मशीन आदि।	400000 / –

नोटः–खनिज का मुल्य, स्वामिस्व पर्यावरणीय क्षति के लिए भरपाई एवं बिना विधिक अधिकार के भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतेय कर के बदले में स्वामिस्व का पच्चीस गुणा लिया जा सकेगा।

परन्तु उपरोक्त के अलावा अन्य मामलों में खनिज मूल्य के साथ शमन शुल्क पच्चीस हजार रू0 से न्यून नहीं होगा।

(3) जब कभी किसी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी विधिक अधिकार के, बगैर खनिज अनुदान या अन्य अनुमति के, खनिज का उठाव किये जाने की स्थिति में वहाँ लाये गए मशीन, उपकरण, वाहन या अन्य सामाग्री लायेगा, उसे जिला के खनन पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी या सहायक, उप, अपर निदेशक या निदेशक खान या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी द्वारा जप्त कर उस व्यक्ति को जिसके अधिकार में होगा, उसे जप्त कर उसे जप्त सामाग्री या खनिज की प्राप्ति रसीद देगा।

परन्तु इस नियम के अधीन जप्ति करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी जप्त किये गए सामाग्री या खनिज को निकटतम पुलिस थाना या पुलिस चौकी को सुपूर्द करेगा।

परन्तु यह भी कि जप्त वाहन, उपकरण या खनिज को उप नियम– 2 वर्णित शमन शुल्क एवं खनिज मुल्य के भुगतान के पश्चात् विमुक्त किया जा सकेगा।

परन्तु उठाव किये गए खनिज के प्रेषण या उपयोग कर लिये जाने कि स्थिति में उप नियम– 2 में वर्णित शमन शुल्क एवं खनिज मुल्य की वसूली, उप नियम– 3 में वर्णित प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

परन्तु यह भी कि जहाँ जप्त वाहन, उपकरण या खनिज विमुक्त नहीं हो, सामाग्री या खनिज को जप्त करने वाला पदाधिकारी समाहर्त्ता को चौबीस घंटे के भीतर प्रतिवेदित करेगा।

(4) इस नियम के तहत जप्त सभी सामाग्रियों को समाहर्त्ता के आदेश से राज्यसात किया जायेगा, यदि खनिज मुल्य, स्वामिस्व पर्यावरणीय क्षति के लिए भरपाई एवं बिना विधिक अधिकार के भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतेय कर के बदले में स्वामिस्व का पच्चीस गुणा के समतुल्य, शमन शुल्क के साथ उल्लंघनकर्त्ता द्वारा उल्लंघन के पता चलने के एक माह के अन्दर भुगतान नहीं करता है या निर्धारित अवधि तक वसूली नहीं की जाती है।

परन्तु एक माह की निर्धारित अवधि के विरूद्ध सभी बकाया का भुगतान किये जाने पर सभी जप्त सामाग्री विमुक्त का आदेश दिया जायेगा एवं उल्लंघनकर्त्ता या सामाग्री के स्वामी को हस्तगत करा दिया जायेगा।

(5) इस नियम के उल्लंघनकर्त्ता के कंपनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति उल्लंघन के घटित होने के समय कंपनी के प्रभारी जो कंपनी के व्यापार के लिए उत्तरदायी होंगे, उल्लंघन के लिए दोषी होंगे एवं तद्नुसार अभियोजन एवं दंड के भागी होंगे।

(6) खनन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग अवैध खनन एवं परिवहन की निगरानी हेतु समन्वित प्रयास करेंगे।

(7) इस नियम के तहत जप्त सामाग्री के अभिग्रहण एवं नीलामी की प्रक्रिया :–

(i) उप नियम– 2 के अध्यधीन, समाहर्त्ता अभिगृहीत सम्पत्ति के अपने समक्ष पेश करने पर या अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने पर, यथाशक्य, यह समाधान होता है कि वह अपराध उसके सम्बंध में कारित किया गया है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों को इस प्रकार अभिगृहीत खनिज के साथ औजारों, आयुधों, नौकाओं, यानों, रस्सियों, जंजीरों या किसी अन्य सामग्री के साथ, जिसका प्रयोग ऐसे अपराध को कारित करने में किया गया है, अधिहरण कर सकेगा। अधिहरण पर आदेश की प्रति खान आयुक्त को असम्यक् विलम्ब के बिना भेजी जायेगी।

(ii) किसी सम्पत्ति का अधिहरण करने वाला कोई आदेश उप–नियम 7 (i) के अधीन नहीं किया जायेगा, जब तक प्राधिकृत अधिकारी–

(क) व्यक्ति को, जिससे सम्पत्ति अभिगृहीत की जाती है और किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में नोटिस नहीं भेजता, जो ऐसी सम्पत्ति में कुछ हित धारण करने के लिए समाहर्त्ता के समक्ष उपस्थित हो सकेगा ;

(ख) ऐसे युक्तियुक्त समय के अन्तर्गत जैसा कि प्रस्तावित अधिहरण के विरूद्ध नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, अभ्यावेदन करने के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट व्यक्तियों को अवसर प्रदान नहीं करता; और

(ग) अधिग्रहण करने वाले अधिकारी और व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिसको नोटिस खण्ड–ख के अधीन जारी की गयी है, ऐसे प्रयोजनों के लिए नियम की जाने वाली तारीख को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करता।

(iii) उपनियम–1 के अधीन किसी औजार, आयुध, नौका, यान , रस्सी, जंजीर या किसी अन्य सामान (अधिगृहीत खनन क्रिया के अधीन) के अधिहरण को कोई आदेश नहीं किया जायेगा, यदि उप–नियम–7(ii) के खण्ड–ख में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के समाधान को साबित करता है कि किसी ऐसे औजार, आयुध, नौका, रस्सी, जंजीर या अन्य सामानों का प्रयोग उसके ज्ञान या सुविधा के बिना या यथास्थिति,उसके सेवक या अभिकर्ता के ज्ञान या सुविधा के बिना किया गया था और सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानी खनन अपराध के कारित करने के लिए पूर्वोक्त उद्देश्य के प्रयोग के विरूद्ध की गयी थी।

(iv) सभी अधिगृहीत औजार, आयुध, नौका, यान, रस्सी, जंजीर या किसी अन्य सामान को सरकारी नियमों के अन्तर्गत नीलाम किया जायेगा।

(v) **अधिहरण एवं नष्ट करने के आदेश का अन्य दंड के साथ हस्तक्षेप न होना।**–इस नियम के अधीन किसी अधिहरण का आदेश किसी अन्य दंड के अधिरोपण को नही रोकेगा जिसका उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस नियमावली के अधीन, दंड का दायी है।

(8) एक नया नियम–56(क) जोड़ा जायेगा :–

56(क) अधिहरण के आदेश के विरूद्ध अपील–अधिहरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिनों के भीतर, या यदि ऐसे आदेश के तथ्य की संसूचना उसको नहीं दी गयी है, तो ऐसे आदेश के ज्ञान की तारीख के तीस दिनों के भीतर ऐसे प्रारूप में संदेय ऐसी फीस के साथ जैसा कि विहित किया जाये, लिखित में अपील अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ जिसमें खनन सामग्री का अभिग्रहण किया गया है, खान आयुक्त (एतस्मिन्पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) के समक्ष दाखिल कर सकेगा।

स्पष्टीकरण–(1) अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की गणना करते समय अपवर्जित किया जायेगा।

(2) नियम–52–(क) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकार जहाँ कोई अपील उसके समक्ष दाखिल नहीं की गयी है ''स्वप्रेरणा से उसके द्वारा अधिहरण के आदेश की प्रति के प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर और अपील के ज्ञापन के पेश करने पर अपील की सुनवाई के लिए या यथास्थिति ''स्वप्रेरणा से'' कार्रवाई की नोटिस अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को और किसी व्यक्ति को (अपीलार्थी, यदि कोई हो, शामिल करके, जो अपीलीय प्राधिकारी की राय में अधिहरण के आदेश द्वारा प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किये जाने के लिए सम्भाव्य है) नोटिस जारी कर सकेगा और करेगा और मामले के अभिलेख की माँग कर सकेगा।

परन्तु अपील की कोई औपचारिक नोटिस अपीलार्थी अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और पूर्वोक्त रूप में प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होने के लिए सम्भाव्य अन्य व्यक्तियों में से ऐसे को जारी

किये जाने की आवश्यकता नहीं है, जो नोटिस का त्यजन करने या जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील को सुनवाई की तारीख की किसी अन्य ढंग में सूचना दी जाय।

(3) अपीलीय प्राधिकारी लिखित में अपील दाखित करने या ''स्वप्रेरणा से'' कार्रवाई के बारे में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना भेजेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी अधिहरण की विषयवस्तु की अभिरक्षा, परिरक्षण या व्ययन (यदि आवश्यक हो के लिए ''अन्तरिम'' प्रकृति का ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत या उचित होना प्रतीत होता है।

(5) अपीलीय प्राधिकारी मामले की प्रकृति या अन्तर्ग्रस्त जटिलताओ को अध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को उनके विधिक व्यावसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने की अनुमति दे सकेगा।

(6) अपील या ''स्वप्रेरणा से'' कार्रवाई की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को या ऐसी तारीख को जिसको सुनवाई स्थगित की जा सकेगी, अपीलीय प्राधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों को यदि उपस्थित हैं व्यक्तिगत रूप से या लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से या विधिक व्यवसायी के माध्यम से सुनेगा और इसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की अभिपुष्टि उलटने या उपान्तरण का आदेश पारित करने की कार्यवाही करेगा।

परन्तु कोई अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व अपीलीय प्राधिकारी यदि अपील के समुचित विनिश्चय के लिए या ''स्वप्रेरणा से'' कार्रवाई के समुचित निस्तारण के लिए आवश्यक समझा जाता है स्वयं आगे जाँच कर सकेगा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे करा सकेगा और पक्षकारों को किसी तथ्य का प्राख्यान करने या खण्डन करने के लिए शपथ पत्रों को दाखिल करने की भी अनुज्ञा दे सकेगा, जो विचारण के लिए उत्पन्न हो सकता है और शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों के सबूत की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपीलीय प्राधिकारी पारिणामिक प्रकृति का ऐसा आदेश भी पारित कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

(8) पारिणामिक प्रकृति के आदेश पर अंतिम आदेश की प्रति अनुपालन के लिए या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अनुपालन में कोई समुचित आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को भेजी जायेगी।

9. नियम– 83(4) के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 83 (5) जोड़ा जायेगा :–

83(5). प्रतिकर चुकाने के लिए समाहर्ता द्वारा आदेश। – (i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2/1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समाहर्ता इस नियमावली के अधीन आदेश पारित करते समय, यदि उसका समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति या उसकी सम्पति को बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी, के कार्य के कारण नुकसान हुआ है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एक उचित रकम चुकाने का आदेश दे सकेगा।

(ii) बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंतर्गत उक्त प्रतिकर रकम का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में, समाहर्ता उक्त रकम प्रभावित व्यक्ति को दे सकेगा और उसके बाद उक्त प्रतिकर रकम लोक माँग के रूप में लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार एवं उड़िसा अधिनियम IV/1914) के अधीन वसूल कर सकेगा।

(iii) उप नियम (i) के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से तीस दिनों के अंदर खान आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा।

परन्तु कोई भी अपील इस नियमावली के अधीन किये गये किसी आदेश के विरूद्ध नहीं किया जा सकेगा जबतक कि अपीलकर्त्ता द्वारा उप नियम (i) के अधीन भुगतान किये जाने वाले आदेशित रकम का 40% या अपीलकर्ता बकाया रकम को स्वीकार करता हो, जो भी अधिक हो, खान आयुक्त न्यायालय में जमा न किया जाये।

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि के समापन पर अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह संतुष्ट हो जाये कि अपीलकर्त्ता को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

The 2nd July 2021

Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Amendment Rules, 2021.

No. 04/V.MU.-20-17/21-1652/M--In exercise of the powers conferred under section 15 read with section 23 C and Section 26 of Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules regarding the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage)Rules, 2019.

1. Short title, extent and commencement :- (1) These Rules shall be called Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Amendment Rules, 2021.

(2) It shall extend to the whole state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The following new sub rule 17 (6) (vi) shall be added after Rule 17(6) (v):-

17(6)(vi). Transfer of Mining Plan:- In case of premature termination or surrender of any mineral concession the approved mine plan shall be deemed to be transferred to any legal person to whom such mineral concession is subsequently settled.

3. The following new Rule 18 (4) shall be added after Rule 18 (3) of the Rules :-

18 (4) Transfer of Environmental Clearance. :-Where a settlement of mineral concession is cancelled by the Government in accordance with law or in any legal proceeding or is surrendered by the mineral concession holder, the environmental clearance granted in respect of such mineral concession/lease/sand ghat/sand block/quarry may be transferred to any entity subject to the same or extended validity period.

For this the Assistant Director (H.Q.)/ Director Mines /Joint Secretary or any other officer authorized by the government shall issue no objection certificate in the capacity of transferor.

4. In sub Rule 29 F, the word ‘may’ in the first line shall be substituted by the word ‘shall’.

5. A new sub Rule 30(5) shall be inserted as follows :-

30(5) - Whoever contravenes the provision of sub rule 30 (1), (2) & (4) and refuses to make payment shall be punished by the competent Court with imprisonment for a term which may extend upto two years.

6. The sub rule (3) of Rule 39, would be amended to read as follows :-

" 39(3): Whosoever fails to obtain a license in Form K , or issue a challan in Form G, or maintain the register in form 'H', or is found to violate the rules, would be liable for punishment under rule 56".

7. Rule 56 shall be substituted by the following:-

56. Illegal mining, transportation and storage of minerals :-

(1) No person shall extract or remove or undertake any mining operation in any area without holding any mineral concession, permit or any other permission granted or permitted under these rules, or shall transport or store or cause to be transported or stored any mineral without a valid challan or license.

(2) Whoever contravenes the above sub rule shall be punished with an imprisonment for a term, which may extend to two years or with a fine which may extend to five lakh rupees, or with both:

Provided that the mining officer of the district or the Assistant, Deputy, Additional Director or Director Mines, or any other officer authorized by the Government, may either before or after the institution of the prosecution, compound

the offence committed in contravention of the above rule, on payment of cost of mineral and compound fee as mentioned below:-

Sl. No	Vehicle/Equipment	Compound fee (in Rs.) Per unit
1	Tractor trolley	25000/-
2.	Matador/Half truck 407,608	50000/-
3.	Full body truck/ Dumper (hydraulic 6 wheeler vehicle)	100000/-
4.	10 or more than 10 wheeler vehicle	200000/-
5.	Crane, Excavator, Loader, Power hammer, Compressor, Drilling machine etc.	400000/-

Note:- Cost of the mineral shall be taken as twenty five times of royalty in lieu of rent, royalty, compensation for environmental degradation and tax chargeable on the land occupied without lawful authority, etc..

Provided that the amount of compound fee in cases other than specified as above shall not be less than rupees twenty five thousand and shall be in addition to the cost of mineral.

(3) Whenever any person, without a lawful authority, raises any mineral from any land other than under any mineral concession or any other permission and for that purpose bring on the land any tool, equipment, vehicle or other thing, such tool, equipment, vehicle etc. along with mineral, if any, shall be seized by the mining officer or a police officer of the district or any other officer authorized by the Collector, who shall give a receipt to the person from whose possession the property or mineral is seized:

Provided that every officer seizing any property or mineral under this rule, shall handover the property or mineral so seized to the nearest police station or police chauki.

Provided further that, the seized vehicle, equipment or mineral shall be released after deposition of cost of mineral along with the compound fee as specified in sub-rule (2).

Provided also that, where mineral so raised has already been dispatched or consumed, the authorities mentioned in sub-rule (3) shall recover cost of mineral along with the compound fee as specified in sub-rule (2).

Provided also that where vehicle, equipment or mineral so seized is not released, the officer seizing the property or mineral shall make a report of such seizure within twenty four hours to the Collector.

(4) All property seized under this rule shall be liable to be confiscated by an order of the Collector if the amount equal to twenty five times of royalty in lieu of cost of mineral, rent, royalty, compensation for environmental degradation and tax chargeable on the land occupied without lawful authority etc., along with compound fee is not paid by the offender within a period of one month from the date of commission of such offence or when the recoveries are not affected by that time:

Provided that on payment of these dues within the said period of one month, all properties seized shall be ordered to be released and shall be handed over to the offender or the owner of the property.

(5) Where the person committing an offence under these rules is a company registered under Companies Act, every person who at the time when the offence was committed, was in charge and was responsible to the company for conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be prosecuted and punished accordingly:

(6) The mines, revenue, police and transport department shall make coordinated efforts to vigil illegal mining or transportation of the mineral.

(7) Procedure for confiscation and auction of property seized under this rule. –

(i) Subject to sub-rule (2), where the Collector upon production before him of property seized or upon receipt of report about seizure, as the case may be, is satisfied that an offence has been committed in respect thereof, he may by order in writing and for reasons to be recorded confiscate the mineral so seized together with all tools, arms, boats, vehicles, ropes, chains or any other article used in committing such offence. A copy of order on confiscation shall be forwarded without undue delay to the Mines Commissioner.

(ii) No order confiscating any property shall be made under sub-rule 7 (i) unless the Collector—

(a) issues a notice in writing to the person from whom the property is seized, and to any other person who may appear to the Collector to have some interest in such property;

(b) affords an opportunity to the persons referred to above, of making a representation within such reasonable time as may be specified in the notice against the proposed confiscation, and

(c) gives to the officer effecting the seizure and the person or persons to whom notice has been issued under clause (b), a hearing on date to be fixed for such purposes.

(iii) No order of confiscation under sub-rule (1) of any tools, arms, boats, vehicles, ropes, chains or any other article (other than the mineral seized shall be made if any person referred to in clause (b) of sub-rule 7(ii) proves to the satisfaction of the Collector that any such tools, arms, boats, ropes, chains or other articles were used without his knowledge or convenience or as the case may be, without the knowledge or convenience of his servant or agent and that all reasonable and necessary precautions had been taken against use of the objects aforesaid for commission of the offence."

(iv) All tools, arms, boats, vehicles, ropes, chains or other articles confiscated would be auctioned as per government rules.

(v) Order of confiscation not to interfere with other punishment. - The order of any confiscation under Rule shall not prevent imposition of any other punishment to which the person affected thereby is liable under these rules or any other law.

8. A new rule 56(A) shall be inserted.

56(A) - Appeal against the order of confiscation.—Any person aggrieved by an order of confiscation may within thirty days of the order, or if the fact of such order has not been communicated to him within thirty days of date of knowledge of such order, prefer an appeal in writing, accompanied by such fee payable in such form as may be prescribed, along with the certified copy of order of confiscation to the Mines Commissioner (hereinafter referred to as Appellate Authority). Explanation—(1) The time required for obtaining certified copy of order of confiscation shall be excluded while computing period of thirty days referred to in this sub-rule.

(2) The Appellate Authority referred to in rule 56A, may, where no appeal has been preferred before him, "suo motu" within thirty days of date of receipt of copy of order of

confiscation by him, and shall on presentation of memorandum of appeal issue a notice for hearing of appeal or, as the case may be, of "suo motu" action to the officer effecting seizure and to any person (including appellant, if any) who in the opinion of the Appellate Authority, is likely to be adversely affected by the order of confiscation, and may send for the record of the case:

Provided that no formal notice of appeal need be issued to such amongst the appellant, officer effecting seizure and any other person likely to be adversely affected as aforesaid, as may waive the notice or as may be informed in any other manner of date of hearing of appeal by the Appellate Authority.

(3) The Appellate Authority shall send intimation in writing of lodging of appeal or about "suo motu" action, to the Collector.

(4) The Appellate Authority may pass such order of "Interim" nature for custody preservation or disposal (if necessary) of the subject matter of confiscation, as may appear to be just or proper in the circumstances of the case.

(5) The Appellate Authority having regard to the nature of the case or the complexities, involved, shall permit parties to the appeal to be represented by their respective legal practitioner.

(6) on the date fixed for hearing of the appeal or "suo motu" action, or on such date to which the hearing may be adjourned, the Appellate Authority shall peruse the record and hear the parties to the appeal if present in person, or through any agent duly authorized in writing or through a legal practitioner, and shall thereafter proceed to pass an order of confirmation, reversal or modification order of confiscation: Provided that before passing any final order the Appellate Authority may if it is considered necessary for proper decision of appeal or for proper disposal of "suo motu" action make further inquiry itself or cause it to be made by the Collector, and may also allow parties to file affidavits for asserting or refuting any fact that may raise for consideration and may allow proof of facts by affidavits.

(7) The Appellate Authority may also pass such orders of consequential nature, as it may deem necessary.

(8) Copy of final order on an order of consequential nature, shall be sent to the Collector for compliance or for passing any appropriate order in conformity with the order of Appellate Authority.

9. The Following new Rule 83(5) shall be added after rule 83(4) of the Rules :-

Rule 83(5):- Order by Collector to pay compensation

(i) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Collector, while passing an order under these rules may, if he is satisfied that any person or his property has suffered damaged due to action of the settlee/licensee, order to pay, by way of compensation, a suitable amount to such person:

(ii) In case of non-payment by the settlee/licensee, the said compensation amount within the specified time, the Collector may recover the said compensation as "Public Demand" under the Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa Act IV of 1914).

(iii) Any person aggrieved by an order under sub-Rule (i) may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal to the Mines Commissioner.

Provided that no appeal can be filed against any order filed under this Rule unless 40% of the amount determined or such amount as the appellant admits to be due from him, whichever is greater is deposited by the Appellant in the Mines Commissioner's Court.

By the Order of the Governor of Bihar,
Sushil Kumar,
Under Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 567-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1944 (श0)
(सं0 पटना 650) पटना, बुधवार, 31 अगस्त 2022

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

30 अगस्त 2022

सं० 02/एम0एम0–(बा0)–25/22–4352/एम0—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम सं0 67,1957) की धारा– 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–51(1)(ख) के साथ सहपठित अनुसूची–III क में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

संशोधन

उक्त नियमावली में,

1. विद्यमान अनुसूची–III क की तालिका में क्रम संख्या 2 के कॉलम 2 एवं 3 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः–

(प्रति घन मीटर दर, रूपये में)

2	(क) 05 नदियों यथा–सोन, किउल, फल्गु, चानन एवं मोरहर में उपलब्ध बालू (ख) अन्य शेष नदियों में उपलब्ध बालू	150.00 75.00

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 30 August 2022

No. 02/MM(BA)-25/22-4352/M,**—**In exercise of the power conferred by Section 15 of the Mines & Mineral (Development and Regulation) Act. 1957 (Act No.-67, 1957) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in schedule-III A read with Rule-51 (1)(b) of Bihar Mineral (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019.

AMMENDMENTS

In the said Rules :-

1. Column 2 & 3 of sr. no. 2 of Existing schedule III A shall be substituted by the following, namely :-

(Rate Per Cubic Meter in Rupees)

2	(A) Sand available in 05 Rivers like Sone, Kiul, Falgu, Chanan & Morhar (B) Sand available in other Rivers	150.00 75.00

By order of the Governor of Bihar,
Diwan Jafar Hussain Khan,
Joint Secretary to Govt.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 650-571+100-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आश्विन 1946 (श0)

(सं0 पटना 1000) पटना, बुधवार, 16 अक्तूबर 2024

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
16 अक्तूबर 2024

सं० प्र0–II/अवैध खनन–30/22/4374/एम०—खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा– 15 के साथ सह पठित धारा–23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के संबंध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** – संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –(1) यह नियमावली बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **नियम–17 (4) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–**

17 (4) खनन योजना का अनुमोदन और समर्पित किया जाना :–

(i) राज्य सरकार द्वारा खनन योजना, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी अथवा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा खनिज समानुदानधारक के माध्यम से तैयार की जा सकेगी, जिसमें उपरोक्त तीनों के द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति/संस्थान से खनन योजना तैयार करने में मदद ली जा सकेगी।

(ii) बंदोबस्तधारी द्वारा खनन योजना तैयार करने की स्थिति में सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत करने के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बंदोबस्तधारी द्वारा खनन योजना विभाग में अनुमोदन हेतु समर्पित की जाएगी।

(iii) निर्धारित समय में खनन योजना प्रस्तुत नहीं करने पर बंदोबस्तधारी को प्रथम एक सप्ताह के विलम्ब के लिए ₹1,00,000/– (रूपये एक लाख), अगले एक सप्ताह के लिए ₹2,00,000/– (रूपये दो लाख) एवं अगले दो सप्ताह के विलम्ब के लिए उच्चतम बोली का 0.5% जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना की राशि प्रतिभूति जमा में से काटी जाएगी। इसके पश्चात भी यदि बंदोबस्तधारी द्वारा खनन योजना/ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया

जाता है तो समाहर्त्ता द्वारा बंदोबस्तधारी से कारणपृच्छा करने के उपरांत LOI रद्द कर प्रतिभूति राशि जप्त की जाएगी।

(iv) समर्पित खनन योजना की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर विभाग द्वारा गठित समिति/ प्राधिकृत शैक्षणिक संस्थान के द्वारा स्वीकृति/ अस्वीकृति प्रदान की जायेगी। अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा, ताकि संबंधित द्वारा अगले 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर पुनः खनन योजना समर्पित की जा सके।

(v) यदि सरकार चाहे तो खनन पट्टा के ई–नीलामी के पूर्व राज्य सरकार प्रचलित पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुसार किसी एजेन्सी अथवा सहायक निदेशक से अन्यून किसी पदाधिकारी को उनके पक्ष में खनन योजना तैयार कराने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ई–नीलामी में चयनित उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में संबंधित खनन पट्टा के लिए उक्त अनुमोदित खनन योजना को स्थानान्तरित किया जा सकेगा। खनन योजना तैयार करने में हुए व्यय एवं फीस की वसूली संबंधित खनिज समानुदान धारक/ बंदोबस्तधारी से की जाएगी।

3. नियम–18 (2) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

18 (2) पर्यावरणीय स्वीकृति–(i) सभी खनिज समानुदान धारक अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी अथवा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी प्रचलित पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (EIA) अधिसूचना, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के आदेशों और भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अंतिम अनुदेशों के अनुसार तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर लेंगे एवं नियमों का अनुपालन करेंगे।

परन्तु खनन पट्टा के ई–नीलामी के पूर्व राज्य सरकार प्रचलित पर्यावरण नियमों के अनुसार किसी एजेन्सी अथवा सहायक निदेशक से अन्यून किसी पदाधिकारी को उनके पक्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ई–नीलामी में चयनित उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में संबंधित खनन पट्टा के लिए उक्त निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति को स्थानान्तरित किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में हुए व्यय की वसूली (फीस सहित) संबंधित खनिज समानुदान धारक/ बंदोबस्तधारी से की जाएगी।

(ii) बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की स्थिति में उनके द्वारा खनन योजना अनुमोदन के अधिकतम 15 (पन्द्रह) **कार्य दिवस** के अन्दर टर्म ऑफ रेफरेन्स (ToR) स्वीकृति के लिए प्रस्ताव/आवेदन राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार (SEIAA) के परिवेश पोर्टल पर समर्पित किया जाएगा।

(iii) बंदोबस्तधारी द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृत्यादेश (LoI) प्राप्त होने के उपरांत संबंधित खनन पट्टा के लिए निकटतम मोनिटरिंग अवधि (Base Line Data Collection Period) समाप्ति से अधिकतम 07 (सात) **कार्य दिवस** के अन्दर प्रारूप पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रतिवेदन (Draft EIA) एवं लोक सुनवाई के लिए निर्धारित शुल्क बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के समक्ष जमा करेगा।

(iv) बंदोबस्तधारी संबंधित खनन पट्टा के लिए सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्गत की तिथि से अधिकतम 07 (सात) **कार्य दिवस** के अन्दर अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार प्रतिवेदन (Final EIA), SEIAA, Bihar के समक्ष जमा करेगा।

(v) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में SEIAA द्वारा अपेक्षित मंतव्य 15 कार्य दिवसों में विभाग/ संबंधित समाहर्त्ता द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(vi) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अधिकतम 07 (सात) **कार्य दिवस** के अन्दर बंदोबस्तधारी द्वारा CTE/CTO के लिए आवेदन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को समर्पित किया जाएगा।

(vii) खनन योजना अनुमोदन के पश्चात निर्धारित समय में सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर बंदोबस्तधारी को प्रथम एक सप्ताह के विलम्ब के लिए ₹1,00,000/– (रूपये एक लाख), अगले एक सप्ताह के लिए ₹2,00,000/– (रूपये दो लाख) एवं अगले दो सप्ताह के विलम्ब के लिए उच्चतम बोली का 0.5% जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना की राशि प्रतिभूति जमा में से काटी जाएगी। इसके पश्चात भी यदि खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया जाता है तो समाहर्त्ता द्वारा बंदोबस्तधारी को कारणपृच्छा करने के उपरांत LOI रद्द कर प्रतिभूति राशि जप्त की जाएगी।

4. नियम– 22 (2) (ग) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–22 (2) (ग)– प्रतिभूति के रूप में नीलामी राशि के 25 (पच्चीस) प्रतिशत के बराबर जमा राशि, जो बंदोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटाई जाएगी, यदि खनन पट्टाधारक भुगतान में अन्यथा व्यतिक्रमी न हो। असफल बीडर की दशा में अग्रधन जमा राशि को समाहर्त्ता द्वारा अधिकतम दस दिनों में वापस कर दी जाएगी।

5. नियम–28 पट्टा निष्पादन – (1) में नया परन्तुक जोड़ा जाएगा :–

परन्तु बंदोबस्तधारी द्वारा CTE/CTO प्राप्त होने के अधिकतम 07 (सात) दिनों के अन्दर प्रथम किस्त का भुगतान अन्य देय राशि के साथ किया जाएगा एवं सभी वैधानिक स्वीकृति के साथ एकरारनामा निष्पादन के लिए जिला समाहर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

सभी राशि एवं एकरारनामा के साथ वैधानिक स्वीकृति समर्पित करने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अन्दर जिला समाहर्त्ता द्वारा एकरारनामा का निष्पादन किया जाएगा एवं खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाएगी।

एकरारनामा निष्पादन के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बंदोबस्तधारी द्वारा इसका निबंधन कराया जाएगा।

6. नियम– 29 क (1) (ख) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति (उच्चतम डाकवक्ता) नीलामी के 05 (पाँच) कार्य दिवस के अंदर नीलामी राशि की 25 (पच्चीस) प्रतिशत राशि (इस प्रयोजनार्थ अग्रधन समायोजन योग्य है) जमा करेगा और उसके बाद सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश समाहर्त्ता/राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा उसके नाम से निर्गत किया जाएगा।

7. नियम– 29 ख (1) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

29 ख (1) – प्रतिभूति जमा का भुगतान – लघु खनिज के रूप में बालू का प्रत्येक बन्दोबस्तधारी, बन्दोबस्ती के निबंधन एवं शर्त्तो के सम्यक् अवलोकन के लिए प्रतिभूति जमा राशि के रूप में नीलामी राशि के 25 (पच्चीस) प्रतिशत के समतुल्य राशि जमा करेगा, जो सक्षम पदाधिकारी (नियमावली में यथा परिभाषित) द्वारा बन्दोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी, यदि बंदोबस्तधारी भुगतान में अन्यथा व्यतिक्रमी न हो।

8. नियम– 29 ख (3) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

नियम–29 ख (3) –स्वामिस्व/बंदोबस्ती राशि के भुगतान की रीति–(i) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :–

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा एकरारनामा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा एकरारनामा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 (साठ) दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	प्रत्येक समानुदान वर्ष की शुरूआत से 03 (तीन) माह पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	प्रत्येक समानुदान वर्ष की शुरूआत से 06 (छः) माह पूरा होने से पहले।

प्रत्येक समानुदान वर्ष में बंदोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तो की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबंधित समाहर्त्ता/खनन पदाधिकारी के समक्ष जमा की जायेगी।

9. 29 (छ) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

गाद का निष्कासन– जल संसाधन विभाग के लिखित प्रतिवेदन/ अनुशंसा पर नदी/नहर मार्ग के प्रवाह को सतत रखने के उद्देश्य से नदी/नहरों में निक्षेपित गाद को समाहर्त्ता द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से निर्धारित अवधि के लिए संवेदक का चयन कर निष्पादन कराया जाएगा। संवेदक/ उच्चतम डाकवक्ता द्वारा सक्षम प्राधिकार से सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर गाद का निष्पादन नियमावली के विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि कार्य क्षेत्र वन भूमि/वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र (PA)/पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (ESZ) में होने पर यथास्थिति वन स्वीकृति, वन्यप्राणी स्वीकृति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

10. नियम–30 (1), (2), (3) एवं (4) शीर्षक सहित निम्न प्रकार प्रतिस्थापित एवं नया उप नियम (6) निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा :–

30– बंदोबस्तधारी पर निर्बन्धन के भंग की दशा में शास्ति –

(1) साईन बोर्ड अधिष्ठापित नहीं करने, सीमा का सीमांकन नहीं करने एवं तालिका में वर्णित अन्य उल्लंघन करने की दशा में बंदोबस्तधारी के विरूद्ध निम्न प्रकार शास्ति समाहर्त्ता द्वारा अधिरोपित की जाएगी –

क्र0 स0	उल्लंघन का प्रकार	जुर्माना (रू0 में)
1	साईन बोर्ड नहीं अधिष्ठापित नहीं करने पर	50,000/—
2	GIS Map/ Geo Co-ordinate के साथ सीमांकन नहीं करने पर	5,00,000/—
3	पानी का छिड़काव नहीं करने पर	50,000/—
4	प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने पर	50,000/—
5	उत्पादन/प्रेषण की पंजी संधारित नहीं करने पर	प्रथम बार उल्लंघन के लिए 5,00,000/— एवं द्वितीय बार उल्लंघन के लिए 10,00,000/—
6	खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं करने पर	50,000/—

(2) (i) प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर खनन करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा– 21(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जाएगी। साथ ही खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

(ii) खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन करने पर उत्खनित खनिज की मात्रा का आंकलन कर समाहर्त्ता द्वारा नियम–56 में परिभाषित खनिज मूल्य की वसूली की जायेगी।

(3) खनन पट्टा क्षेत्र में अनुमान्य गहराई से अधिक बालू खनन करने की दशा में प्रथम एवं द्वितीय बार के लिए उत्खनित बालू की मात्रा का आंकलन कर समाहर्त्ता द्वारा नियम–56 में परिभाषित खनिज मूल्य की वसूली संबंधित बंदोबस्तधारी से की जाएगी।

परन्तु उप नियम–2 (ii) एवं 3 के तृतीय अथवा उससे अधिक बार ऐसे अपराध में जब कभी खनिज समानुदान धारक संलिप्त पाया जाता है तो उस विशिष्ट बालूघाट की बंदोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा अस्थायी रूप से अधिकतम एक माह के लिए निलंबित की जा सकेगी जबतक कि उल्लंघनों में सुधार न कर लिया जाय एवं जुर्माना का भुगतान न कर लिया जाय। समाहर्त्ता द्वारा इस संबंध में दिए गए समय के भीतर यदि उल्लंघनों में सुधार नहीं किया जाता है तो बंदोबस्तधारी को सुनवाई का मौका देते हुए अधिकतम 03 (तीन) माह तक के लिए उस विशिष्ट बालूघाट को निलंबित की जा सकेगी। निलबंन की अवधि में क्षतिपूर्ति का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके उपरांत उल्लंघन में सुधार नहीं करने अथवा जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर समाहर्त्ता द्वारा खनिज समानुदान रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

(4) लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे एवं ढंके हुए वाहनों से क्रियान्वित किया जाएगा और कोई गीला बालू वाहनों में नहीं लादा जाएगा। विशिष्ट रंग से बिना रंगे, गीला बालू, बिना ढंके लघु खनिज के परिवहन तथा जी0पी0एस0 डिवाइस में छेड़छाड़ करने एवं बंद करने पर लिए निम्न प्रकार दण्ड अधिरोपित की जा सकेगी —

क्र0 स0	विषय	जुर्माना (रू0 में)	
1	बिना ढ़के लघु खनिज के परिवहन करने पर	ट्रैक्टर	5,000/—
		अन्य बड़े वाहन	25,000/—
2	गीला बालू का परिवहन करने पर	ट्रैक्टर	5,000/—
		अन्य बड़े वाहन	25,000/—
3	बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहन के लिए चालान निर्गत करने पर	प्रथम बार उल्लंघन के लिए	1,00,000/—
		द्वितीय बार उल्लंघन के लिए अवैध खनन/ प्रेषण मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	
4	बालू परिवहन के दौरान वाहन में अधिष्ठापित जी0पी0एस0 डिवाईस में छेड़छाड़ करने या बंद करने पर	ट्रैक्टर	20,000/—
		अन्य बड़े वाहन के लिए	1,00,000/—

(5) बंदोबस्तधारी द्वारा खनिज के अवैध परिवहन को प्रोत्साहित करने की स्थिति में (वैध चालान से अधिक मात्रा वाहन में लादने की स्थिति में) प्रथम बार ₹5,00,000/— (रूपये पाँच लाख) (प्रत्येक गाड़ी पर) एवं द्वितीय बार से प्रत्येक बार ₹10,00,000/— (रूपये दस लाख) (प्रत्येक गाड़ी पर) का दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

11. नियम–33 खनन क्रिया अनुज्ञा पत्र देना के उप नियम (1) में नया परन्तुक जोड़ा जाएगा

साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई रॉयल्टी की वसूली नहीं की जाएगी।

व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी के खनन/प्रेषण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर वाणिज्यिक अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा, जिसके लिए ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य होगा एवं अग्रिम रॉयल्टी जमा होने के पश्चात 05 (पाँच) कार्य दिवसों के अन्दर विभाग से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाएगी।

12. नियम– 37 (3) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 37 (4) जोड़ा जाएगा :–

37 (4)– रैयती जमीन को कृषि योग्य भूमि बनाने हेतु आवश्यक धूस/बालू मिश्रित मिट्टी के उठाव के लिए खनिज निपटान परमिट दिया जाना –

इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सोन, किउल, फल्गु, मोरहर, चानन एवं गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों में नदी तट से 03 किमी0 (Aerial Distance) की परिधि के बाहर जहाँ रैयती जमीन में लघु खनिज/ बलूई मिट्टी पाया जाता है वहाँ समाहर्त्ता, भूमि संबंधी सत्यापन अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात्, संबंधित खनन अधिकारी के प्रतिवेदन पर वैसे किसी लघु खनिज/ बलूई मिट्टी को हटाने और उपयोग करने का परमिट दे सकेगा। संबंधित रैयत उक्त खनिज के निपटान के लिए परमिट निर्गत करने हेतु खनन अधिकारी के समक्ष एक आवेदन देगा। उक्त अनुमति सरकार को लागू स्वामिस्व तथा अन्य प्रकार के अग्रिम भुगतान कर एवं सभी प्रचालित वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के बाद विनिर्दिष्ट मात्रा में अधिकत्तम एक वर्ष के लिए दी जा सकेगी। इसके लिए समय–सीमा 05 (पाँच) कार्य दिवस निर्धारित की जाती है।

13. नियम– 38 (6) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

38 (6)– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार से अपेक्षित अनापत्ति समर्पित नहीं करने वाले ईंट भट्ठों के विरूद्ध कार्रवाई– यदि ईंट मिट्टी हटाने वाला/ईंट भट्ठा स्वामी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार से अपेक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति और/या बिहार राज्य नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित उत्सर्जन सहमति आदेश समर्पित करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकार/क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /अनुमंडल अधिकारी/अंचल अधिकारी व्यवसाय रोक देगा और नियमों के उल्लंघन के लिए दंड प्रावधानों को आरंभ करने के लिए मामला पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार/बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

14. नियम– 39 (1) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

नियम– 39 (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी लीज धारित क्षेत्र से बाहर लघु/वृहद् खनिज का व्यवसाय चलाता है, खनन अधिकारी से प्रपत्र ''ट'' में भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा, जिसे व्यवसाय के सहजदृश्य स्थल पर दर्शाया जाएगा और सभी ऐसे खनिजों क्रय और विक्रय का समुचित लेखा एक रजिस्टर में प्रपत्र ''ज'' में संधारित किया जाएगा। जिसके निरीक्षण के लिए खान आयुक्त, निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान एवं उप निदेशक, खान या खनन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा। व्यवसाय के आकार के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का शुल्क/आवश्यक शर्त्त निम्न प्रकार होगा :–

(क) लघु व्यवसायी – भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर अधिकत्तम 25,000 (पच्चीस हजार) घनफीट लघु खनिज के भण्डारण के लिए ₹5,000/– (रूपये पाँच हजार) आवेदन शुल्क के भुगतान पर एक पंचांग वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकेगी, जिसे प्रत्येक वर्ष आवेदन शुल्क ₹5,000/– (रूपये पाँच हजार) के भुगतान पर नवीकृत किया जा सकेगा। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारण स्थल पर CCTV कैमरा अधिष्ठापित कर लेने की स्थिति में एक ही बार में पाँच वर्ष के लिए ₹20,000/– (रूपये बीस हजार) के आवेदन शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकेगी।

(ख) मध्यम व्यवसायी – भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर 25,000 (पच्चीस हजार) घनफीट से 1,00,000 (एक लाख) घनफीट तक लघु खनिज के भण्डारण के लिए ₹50,000/– (रूपये पचास हजार) आवेदन शुल्क के भुगतान पर पाँच वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकेगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर CCTV कैमरा तथा स्वयं का धर्मकाँटा अथवा संयुक्त धर्मकाँटा अधिष्ठापित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी चाहे तो सार्वजनिक धर्मकाँटा का भी उपयोग कर सकता है, पर इसके लिए उस धर्मकाँटा को CCTV कैमरा (विभाग से सम्बद्ध) लगाना अनिवार्य होगा।

(ग) वृहद् व्यवसायी – भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर 1,00,000 (एक लाख) घनफीट से 10,00,000 (दस लाख) घनफीट तक लघु खनिज के भण्डारण के लिए ₹2,00,000/– (रूपये दो लाख) आवेदन शुल्क के भुगतान पर पाँच वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकेगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर धर्मकाँटा एवं CCTV कैमरा अधिष्ठापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) सभी अधिष्ठापित धर्मकाँटा एवं CCTV कैमरा को विभागीय पोर्टल से एकीकृत करना अनिवार्य होगा।

15. नियम–41 के बाद नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा :–

परन्तु अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों को ट्रांजिट पास (टी0पी0) लिया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु विनियामक शुल्क का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा।

16. नियम–44 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

नियम–44 खनिजों को ले जाने वाले वाहनों पर निर्बन्धन–(i) राज्य सरकार किसी लघु खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकेगी और उनके कतिपय विनिर्देशनों पर दृढ़ रहने की अपेक्षा कर सकेगी।

(ii) राज्य सरकार परिवहन यानों में जी0पी0एस0 अथवा ऐसी अन्य युक्ति जो आवश्यक अधिष्ठापित करने तथा ऐसे निदेश देने, जिसे उचित समझे, देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(iii) राज्य सरकार खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की पहचान के लिए विशिष्ट रंग एवं शब्दों का अंकन अनिवार्य कर सकेगी।

(iv) जलमार्ग से खनिज का परिवहन बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम, 2023 तथा उसके अधीन प्रवृत नियमावली के अन्तर्गत किया जाएगा।

17. नियम–56 का उप नियम (1) एवं उप नियम (2) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

56– खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण– (1) (i) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में, उत्खनन या निकासी या खनन संक्रियाएँ इस नियमावली के अधीन समानुदान या अनुज्ञप्ति या अन्य किसी अनुमति के बिना नहीं करेगा।

(ii) कोई व्यक्ति किसी खनिज का परिवहन अथवा भंडारण बिना वैध चालान के नहीं करेगा अथवा करवायेगा। साथ ही खनिज का परिवहन अवास्तविक, अनिबंधित एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से नहीं करेगा।

(2) (i) उपरोक्त के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा–21(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(ii) यदि शिकायतकर्त्ता जिला का खनन पदाधिकारी या सहायक निदेशक या खान निरीक्षक हो तो वह अभियोजन संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् उपरोक्त उपनियम (1) (ii) के उल्लंघन के लिए समाहर्त्ता की लिखित अनुमति के पश्चात अपराध का शमन निम्नवत् निर्धारित खनिज मूल्य एवं शमन शुल्क के भुगतान के पश्चात् कर सकेगा :–

क्र0	वाहन/उपकरण	शमन शुल्क (रू0 में)
1	ट्रैक्टर एवं ट्रॉली	1,00,000/–
2	मेटाडोर/हाफ ट्रक 407, 408	2,50,000/–
3	फुल बॉडी ट्रक/ वाहन (06 चक्का)	4,00,000/–
4	डम्पर (हाईड्रोलिक 06 चक्का)/10 एवं इससे अधिक चक्का के वाहन	8,00,000/–
5	क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेशर, ड्रिलिंग मशीन एवं अन्य समरूप क्षमता के यंत्र/मशीन।	10,00,000/–

(iii) यदि शिकायतकर्त्ता उप निदेशक अथवा अपर निदेशक अथवा निदेशक, खान अथवा सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी हो तो शमन की शक्ति का प्रयोग खान आयुक्त के अनुमति के बाद ही कर सकेगा।

(iv) तालिका में वर्णित शमन शुल्क के अलावा उल्लंघनकर्त्ता से खनिज का मूल्य, स्वामिस्व पर्यावरणीय क्षति के लिए भरपाई एवं बिना विधिक अधिकार के भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतेय कर के बदले में स्वामिस्व का पच्चीस गुणा लिया जा सकेगा।

परन्तु उपरोक्त वर्णित वाहन/मशीन के अलावा अन्य वाहन/मशीन के मामलों में खनिज मूल्य के साथ शमन शुल्क पच्चीस हजार रू0 से अन्यून नहीं होगा।

(v) वैध चालान से परिवहन करने के मामलें में जब वाहन में लदा हुआ खनिज की मात्रा चालान में अंकित मात्रा से 5 (पाँच) प्रतिशत तक अधिक हो तो प्राधिकृत अधिकारी केवल अंतर की मात्रा के लिए खनिज मूल्य की वसूली उप नियम–2 (iv) के अनुसार कर सकेगा।

(vi) वैध चालान से अंतर मात्रा के भंडारण के मामलें में उप नियम–2 (iv) के अनुसार खनिज मूल्य के अतिरिक्त जुर्माना के रूप में ₹5,00,000/– (रूपये पाँच लाख) दंडनीय होगा। परिवहन के मामले में मूल्यांकन की गई मात्रा का निर्धारण केवल धर्मकाँटा एवं भंडारण की स्थिति में ड्रोन/टोटल स्टेशन/थियोडोलाईट आदि से किया जायेगा।

18. नियम–57 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

सरकारी परियोजनाओं में मालिकाना फीस :–

(1) सरकारी कार्य विभाग का संवेदक अपनी स्कीम एवं परियोजनाओं के लिये व्यवहृत लघु खनिज का परिवहन चालान/ परमिट संबंधित कार्य विभाग को समर्पित करेगा।

सरकारी कार्य विभाग के संवेदक स्कीम एवं परियोजनाओं के लिए व्यवहृत लघु खनिज का वैध चालान/ परमिट संबंधित कार्य विभाग को समर्पित नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध नियम 56 (2) (iv) के तहत खनिज मूल्य की कटौती अपने आपूर्त्तिकर्त्ता/ कार्य ठिकेदारों से की जाएगी और संबंधित खनन शीर्ष में जमा की जाएगी।

(2) सभी सरकारी विभाग राज्य अथवा राज्य के बाहर से क्रय कर किसी लघु खनिज का उपयोग करने पर मालिकाना फीस की कटौती अपने आपूर्त्तिकर्त्ता या संवेदक से करेंगे। ऐसी मालिकाना फीस की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत फ्लैट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्त्तिकर्त्ता/कार्य ठिकेदारों से की जाएगी और संबंधित खनन शीर्ष में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार, समय–समय पर अधिसूचना द्वारा मालिकाना फीस में बढ़ोतरी या कमी कर सकेगी।

(3) अन्य राज्यों से आपूर्तिकृत लघु खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) देय नहीं होगा।

19. प्रपत्र–ख के भाग–IX सामान्य प्रावधान– कंडिका–6– निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

प्रपत्र–ख के भाग–IX सामान्य प्रावधान– कंडिका–6– पट्टाधारी पट्टा की समाप्ति पर अपनी संपत्ति हटा सकेगा– पट्टाधारी पहले इस प्रस्तुतीकरण के कारण भुगतेय लगान तथा रॉयल्टी का भुगतान एवं उन्मोचित कर उक्त अवधि की समाप्ति या पर्यवसान पर अथवा उसके बाद छह कैलेंडर माह के भीतर अपने स्वंय के लाभ के लिए सभी या किसी मशीनरी, प्लांट, भवन, पट्टा अवधि में उत्खनित/उत्पादित/ क्रश्ड लघु खनिज तथा अन्य कार्य, संरचना, प्रसुविधाओं को, जो लीजधारी द्वारा उक्त भूमि पर किए गए, लगाये गये या रखे गये हो, हटा सकेगा।

परन्तु उत्खनित/उत्पादित/क्रश्ड लघु खनिज पट्टा क्षेत्र से अधिकतम 60 (साठ) दिनों के अन्दर हटा लिया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार नियम–39 के तहत भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर पट्टा क्षेत्र से खनिज हटाकर अनुज्ञप्ति स्थल पर भंडारित कर लिया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1000-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण 1946 (श0)

(सं0 पटना 1146) पटना, बुधवार, 4 दिसम्बर 2024

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
3 दिसम्बर 2024

सं० प्र0–II/अवैध खनन–30/22–5142—खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–4374, दिनांक–16.10.2024 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

Notification
The 3rd December 2024

No.-Pra-II/Avaidh Khanan-30/22-5142/M.—In exercise of the powers conferred under section 15 read with section 23 C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor of Bihar hereby pleased to make the following Rules regarding the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019:-

1. ***Short title, extent and commencement*:-** (1) These rules shall be called the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) (Amendment) Rules, 2024.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. ***Rule- 17 (4) shall be substituted as follows*:-**

(4) **Approval and submission of Mining Plan:-**

(i) The mining plan may be prepared by the State Government through an agency authorised by the State Government or an officer authorised by the Department or the mineral concession holder, in which assistance

may be taken by the above three in preparation of the mining plan from a recognised qualified person/institution.

(ii) In case the settlee prepares the mining plan, the settlee shall submit the mining plan to the Department for approval within maximum 15 (fifteen) days of issuance of the In Principal Sanction Order (LOI).

(iii) In case of non submission of the mining plan within the stipulated time, the settlee shall be imposed a penalty of Rs. 1,00,000/- for the first one week of delay, Rs. 2,00,000/- for the next one week and 0.5% of the highest bid for the next two weeks of delay. In case the imposed penalty is not deposited, the amount of the penalty shall be deducted from the security deposit. Even after this, if the settlee does not submit the mining plan/application for environmental clearance, the Collector shall cancel the LOI and forfeit the security amount after serving a show cause notice to the settlee.

(iv) The committee constituted by the Department/authorized educational institution will approve/reject the submitted mining plan within one week on receipt of the same. The reasons for rejection will be clearly mentioned, so that the concerned can submit the mining plan again within the next 15 days.

(v) If the Government finds it appropriate, before the e-auction of the mining lease, the State Government may authorize any agency or any officer not below the rank of Assistant Director to prepare the mining plan in their favour as per the prevailing environmental provisions. The said approved mining plan for the concerned mining lease may be transferred in favour of the highest bidder selected in the e-auction. The expenses and fees incurred in preparation of the mining plan will be recovered from the concerned mineral concession holder/ settlee.

3. ***Rule-18 (2) shall be substituted by the following*:-**

18 (2)Environmental Clearance-(i) All mineral Concession holders or agency authorized by the Government or an Officer authorized by the Department shall obtain prior environmental clearance within the prescribed time limit and comply with the rules as per the prevailing Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, orders of Pollution Control Board and latest instructions issued by the Competent Authority of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and as per the provisions of the Environment Protection Act.

Provided that before e-auction of mining lease, the State Government may authorize any agency or any officer not below the rank of Assistant Director to obtain environmental clearance in its favour as per prevailing environmental rules. The said environmental clearance for the concerned mining lease shall be transferred in favour of the highest bidder selected in the e-auction. The expenditure incurred in obtaining environmental clearance (including fees) shall be recovered from the concerned mineral concession holder/settlee.

(ii) In case the settlee obtains environmental clearance, the proposal/application for Terms of Reference (TOR) approval shall be submitted by him on the Parivesh Portal of State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) within maximum 15 (fifteen) working days of the mining plan approval.

(iii) After receiving the in-principle sanction order (LOI), the settlee shall submit the draft Environment Impact Assessment (EIA) report and the prescribed fee for public hearing to the Bihar State Pollution Control

Board within maximum 07 (seven) working days from the end of the nearest monitoring period (Base Line Data Collection Period) for the concerned mining lease.

(iv) The settlee shall submit the Final EIA to SEIAA, Bihar within maximum 07 (seven) working days from the date of issuance of minutes public hearing for the concerned mining lease.

(v) In order to obtain environmental clearance, required comment shall be made available to the SEIAA within maximum 15 (Fifteen) working days by the Department/ concerned Collector.

(vi) The settlee shall submit the application for CTE/CTO to the Bihar State Pollution Control Board within maximum 07 (seven) working days from the date of issuance of environmental clearance.

(vii) In case the application for environmental clearance is not submitted to the competent authority within the stipulated time after approval of mining plan, a penalty of Rs. 1,00,000/- for the first one week, Rs. 2,00,000/- for the next one week and 0.5% of the highest bid amount for the next two weeks will be imposed on the settlee. In case the imposed penalty is not deposited, the amount of penalty will be deducted from the security deposit. Even after this, if the mining plan/application for environmental clearance is not submitted, the Collector shall cancel the LOI after issuing a show cause notice to the settlee and the security amount will be confiscated.

4. ***Rule- 22 (2) (c) shall be substituted as follows*:-**

22 (2) (c) -An amount equal to 25 (twenty five) percent of the auction amount as security which will be refunded after the expiry of the settlement period, if the mining lease holder is not otherwise defaulter in payment. In case of unsuccessful bidders the Earnest Money Deposit will be refunded by the Collector within maximum Ten days.

5. ***Rule 28 Execution of lease–A new Proviso shall be added in sub rule (1) as follows*:-**

Provided that Within a maximum of 07 (seven) days of receiving the CTE/CTO, the lessee shall make the payment of first installment along with other dues and submit the agreement for execution before the District Collector, along with all statutory clearances.

The District Collector shall execute the agreement within a maximum of 03 (three) days of receiving all the amounts and the agreement with statutory clearances. Mining work will be allowed after the execution of the agreement.

The lessee shall get the agreement registered within a maximum of 15 (fifteen) days of its execution.

6. ***Rule 29A (1) (b) shall be substituted as follows*:-**

The highest bidder shall deposit 25% of the auction amount (earnest money is adjustable for this purpose) within 05 working days of the auction and thereafter an in-principle sanction order (LOI) shall be issued in his favour by the Collector/Any Officer so authorized by the State Government.

7. ***Rule- 29B (1) shall be substituted as follows*:-**

29B (1)-Payment of Security Deposit- Every settlee of sand as minor mineral shall deposit an amount equivalent to 25 (twenty five) percent of the auctioned/ tendered amount as security for due observation of the terms and conditions of settlement which shall be refunded after the expiry of the period of settlement

Competent Officer (as defined in the Rules) after the expiry of the settlement period, if the settlee is not otherwise defaulter in payment.

8. ***Rule 29B (3) shall be substituted as follows*:-**

Rule-29B (3) Mode of payment of Royalty/Settlement amount-(i) Other than security deposit, the settlee shall pay the settlement amount as per the following time table/payment schedule.

Installment	Due Date of payment
First installment (50%)	(a) Before execution of lease agreement (for first year) (b) Sixty days before completion of one year from the date of execution of lease agreement during the first year and followed by same procedure in consecutive years.
Second installment (25%)	Before completion of 03 months from the commencement of each concession year.
Third installment (25%)	Before completion of 06 months from the commencement of each concession year.

At the time of payment of first installment by the settlee in each concession year, post-dated cheque for the amount of second and third installments shall be deposited before the concerned Collector/Mining Officer.

9. ***29 (G) shall be substituted as follows*:-**

Removal of Silt- On the written report/recommendation of the Water Resources Department, for the purpose of maintaining the flow of the river/canal route, the silt deposited in the river/canals shall be disposed of by the Collector by selecting a contractor for a fixed period through e-auction. The contractor/highest bidder shall obtain all the necessary statutory No Objection Certificates (NOC) from the competent authority and shall dispose of the silt by following the prescribed procedure of the rules.

Provided that if the working area is forest land/ wildlife protected area (PA)/ Eco Sensitive zone (ESZ), auction shall be conducted only after obtaining Forest Clearance, Wildlife Clearance as the case may be and Environmental Clearance.

10. ***Rule-30 (1), (2), (3) and (4) along with heading shall be substituted and a new sub rule (6) shall be added as follows*:-**

30- Penalty on settlee in case of breach of terms.-

(1) In case of not installing sign board, not demarcating boundary and in case of other violations mentioned in the table, following penalty shall be imposed by the Collector against the settlee-

Sl. No.	Type of violation	Penalty (in Rs.)
1	Not installing sign board	50,000/-
2	Not demarcating with GIS Map/ Geo Co-ordinates	5,00,000/-
3	Not sprinkling water	50,000/-
4	Not having adequate lighting arrangements	50,000/-
5	Not maintaining register of production/dispatch	5,00,000/- for first violation and Rs. 10,00,000/- for second violation
6	Not planting trees as per mining plan	50,000/-

(2) (i) For mining within the restricted area, penalties shall be imposed under Section 21 (1) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act. Also, action shall be taken to cancel the mining lease.
(ii) In case of mining outside the mining lease area, the quantity of excavated mineral shall be assessed and the cost of mineral as defined in Rule 56 shall be recovered by the Collector.

(3) In case of sand mining more than the permissible depth in the mining lease area, the quantity of excavated sand shall be assessed for the first and second time and the cost of mineral as defined in Rule 56 shall be recovered by the Collector from the concerned settlement holder.

Provided that whenever the mineral concession holder is found involved in such offence under sub-rule-2 (ii) and sub rule 3, for the third time or more, the settlement of that particular sand ghat may be temporarily suspended by the Collector for a maximum period of one month until the violations are rectified and the penalty is deposited. If the violations are not rectified within the time given by the Collector in this regard, then the settlement of that particular sand ghat may be suspended for a maximum period of 03 months after giving the settlement holder an opportunity of being heard. No claim for compensation shall be accepted during the period of suspension. Thereafter, if the violation is not rectified or the penalty is not deposited, action for cancellation of mineral concession shall be taken by the Collector.

(4) Transportation of minor minerals shall be carried out only in covered vehicles painted in a specific colour and wet sand shall not be loaded in the vehicles. In case Minor mineral is transported without being specifically coloured, wet sand or uncovered and tampering/switching off the GPS device, following penalties may be imposed-

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Subject</th><th colspan="2">Fine (in Rs.)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">On Transportation of uncovered minor mineral</td><td>Tractor</td><td>5,000/-</td></tr>
<tr><td>Other heavy vehicles</td><td>25,000/-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">On transporting wet sand</td><td>Tractor</td><td>5,000/-</td></tr>
<tr><td>Other heavy vehicles</td><td>25,000/-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">On issuance of challan for a vehicle painted without the specific colour</td><td>for first time violation</td><td>1,00,000/-</td></tr>
<tr><td colspan="2">For second time violation action will be taken as per rules considering illegal mining/dispatch.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">On tampering or switching off the GPS device installed in the vehicle during sand transportation.</td><td>Tractor</td><td>20,000/-</td></tr>
<tr><td>For other heavy vehicles</td><td>1,00,000/-</td></tr>
</table>

(6) In case the settlee encourages illegal transportation of minerals (In case of loading more quantity than the valid challan), penalty of Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakh) (on each vehicle) for the first time and Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lakh) from the second time onwards (on each vehicle) may be imposed.

11. ***A new proviso shall be added in sub rule (1) of rule 33 Grant of Quarrying Permits as follows*:-.**

No royalty shall be levied for non-commercial use of ordinary earth.

For commercial use of mining/dispatch of ordinary earth, commercial license has to be obtained by following the prescribed procedure, for which online application in the prescribed form will be mandatory to apply and the officer authorized by Department shall grant the approval within 05 (five) working days after deposit of advance royalty.

12. ***After rule 37 (3), the following new sub-rule 37(4) shall be added as follows*: -**

37 (4)-Mineral Disposal Permit to be given for removal of the Dhush/Sand mixed soil required to convert the raiyat land into agricultural land-

Notwithstanding anything contained in these rules, in rivers other than Son, Kiul, Falgu, Morhar, Chanan and Ganga, where minor minerals/sandy soil is found in the raiyati land, outside the radius of 03 km (Aerial Distance) from the river bank, the Collector, after verification by the Circle Officer, may grant a permit to remove and use any minor mineral/sandy soil on the report of the concerned Mining Officer. Concerned raiyat shall submit an application to the Mining Officer for issuance of permit for disposal of the said mineral. The said permission may be granted for a maximum period of One year for the specified quantity after advance payment of applicable royalty to the government and other taxes and obtaining all prevailing statutory clearances. 5 (Five) working days is fixed as time limit for this.

13. ***Rule 38 (6) shall be substituted as follows*:-**

38 (6) –If the brick earth remover / brick kiln owner fails to submit the required Environmental Clearance from the competent authority as notified by MoEF& CC and / or the required Emission Consent Order from the Bihar State Pollution Control Board (BSPCB), the Competent Officer/ Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board/ Sub Divisional Officer/ Circle Officer shall stop the business and report the matter to competent authority as notified by MoEF & CC/ BSPCB for initiating penal provisions for violation of rules..

14. ***Rule 39(1) shall be substituted as follows*:**

Rule 39 (1) Every person who carried business of minor/major mineral beyond any lease hold area shall obtain a stockist license from the Mining Officer in Form "K" which shall be displayed at a conspicuous place of business and shall maintained proper accounts of purchase and sale of all such minerals in a register in form-H which shall be produced before the Mines Commissioner, Director of Mines, Additional Director of Mines and Deputy Director, Mines or Mining Officer or any other officer authorized by the State Government, for inspection. The fee/required condition for obtaining the license according to the size of the business shall be as follows-

(a) Small Businessmen- For maximum storage of 25,000 (Twenty Five Thousand) cubic feet of minor minerals at the storage license site,on payment of an application fee of Rs. 5,000 (Rs. Five Thousand), license can be obtained for One calendar year, which can be renewed every year on payment of an application fee of Rs. 5,000/- (Rs. Five Thousand). In case such license holder installs CCTV cameras at the storage site, the license can be obtained at one go for five years on payment of application fee of Rs 20,000/- (Rs. Twenty Thousand).

(b) Medium Businessmen- For storage of 25,000 (Twenty Five Thousand) cubic feet to 1,00,000 (One Lakh) cubic feet of minor mineral at storage license site, on payment of an application fee of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand), license can be obtained for Five years. It will be mandatory for such licensee to install CCTV camera, his own Weighbridge or joint Weighbridge at the storage place. Such licensee may use public weighbridge, but it will be mandatory for that weighbridge to have CCTV camera installed (integrated with Department).

(c) Large Businessmen- For storage of minor minerals from 1,00,000 (One Lakh) cubic feet to 10,00,000 (Ten Lakh) cubic feet, on payment of application fee of Rs 2,00,000/- (Rs. Ten Lakh)) storage license can be obtained for five years. It will be mandatory for such licensee to install Weighbridge and CCTV cameras at the storage place.

(d) All installed weighbridge and CCTV cameras shall be mandatorily integrated with the departmental portal

15. After Rule 41, a new second proviso shall be added as follows: -

Provided that it will be mandatory for all vehicles carrying minor minerals from other states to have Transit Pass (TP).The regulatory fee for this will be determined by the department.

16. ***Rule-44 shall be substituted as follows-***

Rule 44: Restrictions on vehicles carrying minerals-(i) The State Government may impose reasonable restrictions on vehicles carrying any minor mineral and may require them to adhere to certain specifications.

(ii) The State Government may require installation of GPS or such other device in transport vehicles as may be necessary and give such directions as it may consider appropriate.

(iii) The State Government shall make mandatory to specific colour and words mandatory for the identification of vehicles used in mineral transportation.

(iv) Transportation of minerals through waterways shall be carried out as per The Bihar Ferry ghat Settlement and Management Act, 2023 and rules promulgated under this Act.

17. ***Sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 56 will be substituted as follows*:-**

56- Illegal mining, transportation and storage of minerals-

(1) (i) No person shall extract or remove or undertake any mining operation in any area without holding any mineral concession, permit or any other permission granted or permitted under these rules.

(ii) No person shall transport or store any mineral without a valid challan. Also, minerals will not be transported by unrealistic, unregistered and non-commercial vehicles.

(2)(1) For violation of the above, penalty shall be imposed under Section 21 (1) of the Act.

(ii) Where complainant is the District Mining Officer or Assistant Director or Mine Inspector, after the written permission of the Collector, he may either before or after the institution of the prosecution, compound the offence of violation above sub-rule (1) (ii)on payment of cost of mineral and compound fee as mentioned below:-

Sl. No.	Vehicles/equipment	Compound fee (in Rs.)
1	tractor and trolley	1,00,000/-
2	Matador/Half Truck 407, 408	2,50,000/-

Sl. No.	Vehicles/equipment	Compound fee (in Rs.)
3	Full Body Trucks/Vehicles (06 Wheel)	4,00,000/-
4	Dumper (Hydraulic 06 wheel) / 10 and above	8,00,000/-
5	Crane, boat, excavator, loader, power hammer, compressor, drilling machine and other equipment/machines of similar capacity.	10,00,000/-

(iii) If the complainant is a Deputy Director or Additional Director or Director of Mines or any other official authorized by the Government may, exercise the power of compounding only after the permission of the Mines Commissioner.

(iv) Compounding fee mentioned in the table, twenty-five times of the royalty may be imposed from the violator in lieu of the cost of the mineral, compensation for environmental damage and tax payable for acquiring land without legal rights.

Provided that in case of vehicles/machines other than the vehicles/machines mentioned above, the compounding fee along with the mineral cost will not be less than twenty five thousand rupees.

(vi) In case of transportation with valid challan, when the quantity of mineral loaded in the vehicle is more than the quantity mentioned in the challan by 5 percent, then the authorized officer may be able to recover the mineral price only for the difference quantity as per sub-rule-2 (iv). .

(vi) In case of storage of quantity different from the valid challan, in addition to the mineral cost as per sub-rule 2 (iv), a penalty of Rs 5,00,000/- (Five Lakh) may be imposed. In case of transportation, the assessment of quantity shall be determined only with Weighbridge and in case of storage, it shall be determined only through Drone/Total station/The odolite etc.

18. ***Rule-57 shall be substituted as follows*:-**

Seigniorage Fees in Government Projects-

(1) The contractor of Government Works Department shall submit challan/permit related to transportation of minor minerals for his scheme and project to concerned Works Department.

If the contractor of the Government Works Department failed to submit a valid challan/permit for the minor minerals used for the schemes and projects to the concerned Works Department, the mineral cost under Rule 56 (2) (iv) shall be deducted from suppliers/contractors and deposited in the concerned Mining Head.

(2) All Government Departments will deduct Seigniorage Fee from their suppliers or contractors for using any minor mineral purchased from within the State or outside the State. Such Seigniorage Fee shall be at a flat rate of 10 (ten) percent of the mineral value involved in the estimate and shall be deducted by the Works Department from their supplier/ works contractors and deposited in the respective mining head.

The State Government by notification, may increase or decrease the Seiniorage Fee from time to time..

(3) Royalty will not be payable on minor minerals supplied from other states.

19. ***Paragraph 6 of Part-IX General Provisions of Form-B will be substituted as follows*:-**

Part-IX General Provisions of Form-B Paragraph-6 The lessee having first paid and discharged the rents and royalties payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within six calendar months thereafter take down and remove for his own benefit all or any machinery, plant, building, minerals excavate/ produced/crushed during the lease period and other works erections and conveniences which may have been erected, set up on placed by the lessee in or upon the said lands.

Provided that the excavated/produced/crushed minor minerals shall be removed from the lease area within a maximum of 60 days and as per requirement, after obtaining storage license under Rule 39, the minerals shall be removed from the lease area and stored at the licensed site.

By order of the Governor of Bihar,
Narmdeshwar Lal,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1146-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 448) पटना, बुधवार 6 मई 2026

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

6 मई 2026

सं0– प्र0–II/अवैध खनन– 30/22–2961—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के साथ सह पठित धारा 23(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–

(1) इन्हें बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उप नियम 2(1) में कंडिका (viii) के बाद निम्नलिखित कंडिका (viii)(क) जोड़ा जाएगा:-

(viii)(क) "अन्वेषण निदेशक" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अन्वेषण निदेशक;

3. उप नियम 2(1) में कंडिका (xix) के बाद निम्नलिखित कंडिका (xix) (क) जोड़ा जाएगा:-

(xix)(क) "भूवैज्ञानिक" से अभिप्रेत है इस निमयावली के उद्देश्यों के लिए भूवैज्ञानिक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ;

4. नियम 4 के बाद निम्नलिखित उप नियम 4(क) जोड़ा जाएगा :-

4(क) अन्वेषण निदेशक की नियुक्ति – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अन्वेषण निदेशक नियुक्त कर सकेगी जो राज्य में खनिज संसाधनों के अन्वेषण के लिए उत्तरदायी होगा।

5. नियम 8 के बाद निम्नलिखित नियम 8(क) जोड़ा जाएगा:-

8(क) अन्वेषण निदेशक की शक्तियां एवं कार्य।–

(1) वह अन्वेषण निदेशालय का प्रमुख होगा तथा विभाग के सभी भूवैज्ञानिकों पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

(2) वह केंद्रीय एवं निजी अन्वेषण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा, तथा विभिन्न अन्वेषण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण प्रतिवेदनों की जांच, परीक्षा एवं विस्तृत विश्लेषण के लिए, जिसमें इनपुटस, निष्कर्षों, अनुशंसा एवं खनिज अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित सभी अन्य कार्यों का मूल्यांकन सम्मिलित होगा।

(3) वह व्यवहार्य खनन ब्लॉकों की अन्वेषण, पहचान एवं तैयार करने के लिए तथा इन्हें विभाग को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. नियम 9 के बाद निम्नलिखित नियम 9(क) जोड़ा जाएगा:-

9(क) भूवैज्ञानिक के कर्तव्य:–

(1) भूवैज्ञानिक का कर्तव्य होगा कि वह लागू नियमों के प्रावधानों के अनुरूप भूमीक्षण सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, भूभौतिकीय एवं भूरासायनिक सर्वेक्षण, ड्रिलिंग एवं उप–सतह अन्वेषण, संसाधन आंकलन एवं व्यवहार्यता तथा प्रतिवेदन तैयार करे।

(2) **उक्त संदर्भित भूवैज्ञानिक** ।–

(क) खनिज संसाधनों के आवधिक अद्यतन, बोर–कोर अथवा नमूनों एवं बोरहोल लॉग के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) खनिज संसाधनों के संरक्षण तथा खनन पट्टों में खनिजों एवं अयस्कों के इष्टतम उपयोग की योजना तैयार करेगा;

(ग) पूर्वेक्षण योजना तैयार करेगा तथा योजना के अनुसार जांच कार्य संचालित करेगा;

(घ) अयस्क पिण्ड के परिसीमन हेतु आवश्यक भूवैज्ञानिक मानचित्र, योजनाएं एवं अनुभाग तैयार करेगा;

(ङ) आश्रयी शैल एवं खनिजीकृत क्षेत्रों का पेट्रोलॉजिकल एवं खनिज वैज्ञानिक अध्ययन करेगा;

(च) अयस्क भंडार एवं उसके गुणवत्ता का आकलन करेगा;

(छ) नमूनाकरण की उपयुक्त विधि कार्यान्वित करेगा तथा नमूनों की तैयारी सुनिश्चित करेगा;

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट सभी आदेश एवं निर्देशों का पालन करेगा।

7. नियम 14(क) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा।–राज्य में किसी भी लघु खनिज के संबंध में कोई व्यक्ति दो से अधिक खनिज समानुदान प्राप्त नहीं करेगा।

परंतु किसी एक समानुदानधारक को प्रदत्त क्षेत्र 200 (दो सौ) हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।

परंतु यह और कि, बालू के बंदोबस्ती के मामले में, यह सीमा केवल बिहार बालू खनन नीति, 2019 के कंडिका– 5 (i) में उल्लिखित नदियों में ही लागू होगी। अन्य नदियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार विभाग अधिकतम संख्या/क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए सक्षम होगा।

8. उप नियम 17(7) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 17(8) एवं 17(9) जोड़ा जाएगा:-

17(8) वित्तीय आश्वासन ।–

(क) खनिज समानुदनधारक द्वारा खनन योजना, जिसमें आनुक्रमिक खान समापन योजना एवं अंतिम खान समापन योजना शामिल है, के समुचित एवं ससमय कार्यान्वयन के लिए, वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया जायेगा, जो निम्नानुसार होगा:–

क्र0	खनिज समानुदान/परमिट का प्रकार	वित्तीय आश्वासन (रुपये में)
1	बालू खनिज समानुदानधारकों के लिए	₹60,000/– (साठ हजार रुपये) प्रति हे0
2	पत्थर खनिज समानुदानधारकों के लिए	₹5,00,000/– (पांच लाख रुपये) प्रति हे0

परंतु उप नियम 8(क) के तहत प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन की न्यूनतम राशि बालू खनिज के लिए 5,00,000/– (पांच लाख रुपये) एवं पत्थर खनिज के लिए 30,00,000/– (तीस लाख रुपये) होगी।

(ख) वित्तीय आश्वासन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक से सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो विभाग द्वारा समाहर्त्ता/विभाग/अधिकृत अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखा गया हो।

(ग) वित्तीय आश्वासन पट्टा विलेख के निष्पादन या अनुज्ञप्ति के स्वीकृति से पूर्व विभाग/अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यमान खानों में, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से तीन माह के भीतर इसे प्रस्तुत करना होगा। जहां

पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी उक्त समय के भीतर वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसे विलंब के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगाया जाएगा तथा ऐसे विलंब के दो माह बाद पट्टे की खनन गतिविधि रोक दी जाएगी। यदि पट्टाधारक या समानुदानधारक द्वारा वित्तीय आश्वासन की राशि जमा नहीं की जाती है, तो पट्टा अवधि के अंत में जमा प्रतिभूति राशि से यह राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी। इस संबंध में भविष्य में कोई मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(घ) वित्तीय आश्वासन पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर मुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि वह खान समापन योजना के प्रावधानों का संतोषजनक रूप से पालन कर चुका हो तथा इसे संबंधित समाहर्त्ता/विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

17(9) पुनरूद्धार, राहत एवं पुनर्वास।–

(क) जहाँ समाहर्त्ता/विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास यह उचित आधार हो कि उस खान समापन योजना में वर्णित सुरक्षा, पुनरूद्धार और पुनर्वास उपाय, जिसके लिए वित्तीय आश्वासन दिया गया था, पूर्ण या आंशिक रूप से लागू नहीं किये गये हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पट्टेदार/अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय आश्वासन की राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज जब्त कर ली जाएगी तथा इसे जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में जमा किया जाएगा।

परंतु पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ख) खनन पट्टा, खदान, अनुज्ञप्ति या अल्पकालिक परमिट में कार्य बेंचों के निर्माण द्वारा किया जाएगा। खनिज एवं ओवरबर्डन सहित ऐसे बेंच अलग–अलग बनाए जाएंगे तथा ओवरबर्डन या अपक्षयित खनिज के बेंच को इस प्रकार पर्याप्त अग्रिम में रखा जायेगा, कि उनका कार्य खनिज के कार्य में हस्तक्षेप न करे।

(ग) न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन के साथ इष्टतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी या अल्पकालिक परमिटधारक खनन योजना या खनन स्कीम के अनुसार मशीनरी एवं उपकरण उपयोग करने का प्रयास करेगा।

(घ) खदान या खनन तल पर गैर–बिक्री योग्य खनिज को नियमित रूप से एकत्रित कर सतह पर पहुँचाया जायेगा एवं पृथक रूप से रखा जायेगा। खदान या खनन तल को मलबे से यथा संभव स्वच्छ रखा जाएगा। खनिज के छोटे टुकड़े, जहां तक संभव हो, डंपों से अलग किए जाएंगे तथा भविष्य के उपयोग के लिए अलग–अलग जमा किये जायेंगें।

(ङ) उपरी मृदा, ओवरबर्डन, अपशिष्ट सामग्री या गैर–बिक्री योग्य खनिज के डंपिंग के लिए चयनित स्थल, खदान या खनन कार्य से दूर होगी। खनन या उत्खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, खदान या खनन के वैचारिक अंतिम सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा तथा डंपिंग स्थल का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि डंपिंग अंतिम आकार की सीमाओं के भीतर न किया जाए, सिवाय जहां समवर्ती बैक फिलिंग प्रस्तावित हो।

9. उप नियम 18(2) में निम्नलिखित कंडिका (viii) एवं (ix) जोड़ा जाएगा:–

(viii) पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के बाद निर्धारित समय के भीतर सक्षम प्राधिकार के समक्ष स्थापनार्थ सहमति आदेश/संचालनार्थ सहमति आदेश (सीटीई/सीटीओ) के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर, बंदोबस्तधारी को प्रथम एक सप्ताह के लिए 1,00,000/– रुपये, अगले एक सप्ताह के लिए 2,00,000/– रुपये तथा अगले दो सप्ताह के लिए उच्चतम बोली का 0.5% जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना की राशि प्रतिभूति जमा में से काट ली जायेगी। इसके पश्चात् भी यदि अगले एक सप्ताह के भीतर सीटीई/सीटीओ के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो समाहर्त्ता बंदोबस्तधारी को कारणपृच्छा करने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृत्यादेश रद्द करने हेतु सक्षम होगा तथा बंदोबस्तधारी की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

(ix) परंतु यह कि यदि समाहर्त्ता किसी भी समय संतुष्ट हो कि बंदोबस्तधारी किसी भी चरण में जानबूझकर या इरादतन किसी भी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में विलंब कर रहा है, तो समाहर्त्ता द्वारा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

10. उप नियम 22(3) शीर्षक सहित निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

22(3)– स्वामिस्व/बंदोबस्ती राशि के भुगतान की रीति।–

(क) नीलामी राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत् वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत् के बराबर होगी।

(ख) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :–

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा एकरारनामा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा एकरारनामा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 (साठ) दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	प्रत्येक समानुदान वर्ष की शुरूआत से 03 (तीन) माह पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	प्रत्येक समानुदान वर्ष की शुरूआत से 06 (छः) माह पूरा होने से पहले।

प्रत्येक समानुदान वर्ष में पट्टाधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तो की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबंधित समाहर्त्ता/खनन पदाधिकारी के समक्ष जमा की जायेगी।

परन्तु खनन पट्टा जिनकी नीलामी इस नियमावली के लागू होने के पूर्व की जा चुकी है, वे नीलामी की राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर जमा करते रहेंगें एवं प्रत्येक किस्त प्रथम वर्ष के पट्टा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 (साठ) दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा की जाएगी।

परन्तु यह और कि यदि पट्टाधारी इस नियमावली में निर्दिष्ट किस्तों का भुगतान करने में असफल रहता है, तो समाहर्त्ता द्वारा आगे ई–चालान निर्गमन निलंबित कर दिया जाएगा तथा बकाया राशि ब्याज सहित भुगतान के बाद ही पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि इस नियमावली में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए या अन्यथा पट्टा धारक बंदोबस्ती राशि के समतुल्य मात्रा से अधिक उत्खनित और प्रेषित खनिज की मात्रा के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व का भुगतान करेगा।

11. नियम 26 के बाद निम्नलिखित नियम 26 क एवं 26 ख जोड़े जाएंगे :-

26 क. धर्मकाँटा एवं सीसीटीवी का अधिष्ठापन।– प्रत्येक खनन पट्टा पर केंद्रीय सर्वर से एकीकृत एक इलेक्ट्रॉनिक धर्मकाँटा का अधिष्ठापन हो सकेगा। प्रत्येक पट्टाधारी को धर्मकाँटा पर एवं विभाग द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा जो विभाग से जुड़ा होगा तथा प्रत्येक पट्टाधारी को अंतिम छह माह के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप अनिवार्य रूप से बनाए रखना/पुनर्स्थापन करना होगा तथा आवश्यकता होने पर इसे प्रस्तुत करना होगा। किसी भी पट्टाधारी द्वारा उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर इस नियमावली के तहत दंड का भागी होगा तथा उचित धर्मकाँटा स्लिप/ई–चालान के बिना खनिज परिवहन करते पाये जाने वाले किसी भी वाहन को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत जब्त किया जा सकेगा।

26 ख. पट्टाधारी पर निर्बन्धन के भंग की दशा में शास्ति।–

(1) साइन बोर्ड अधिष्ठापित नहीं करने, भू–निर्देशांक सहित सीमा स्तंभ चिह्नित नहीं करने, सीसीटीवी फुटेज का बैकअप नहीं बनाए रखने तथा तालिका में उल्लिखित अन्य उल्लंघनों के लिए समाहर्त्ता द्वारा पट्टाधारी के विरुद्ध निम्नलिखित दंड लगाया जायेगा :–

क्र0 सं0	उल्लंघन का प्रकार	दंड (रुपये में)
1	साइन बोर्ड अधिष्ठापित नहीं करने पर	1,00,000/–
2	भू–निर्देशांक सहित सीमा स्तंभ चिह्नित नहीं करने पर	5,00,000/–
3	अंतिम छह माह के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप नहीं बनाए रखने/पुर्नस्थापित नहीं करने पर।	5,00,000/–

4	निर्धारित समय के भीतर विभागीय पोर्टल पर मासिक रिटर्न अपलोड नहीं करने पर	1,00,000 / —
5	पानी का छिड़काव नहीं करने पर	1,00,000 / —
6	प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने पर	1,00,000 / —
7	उत्पादन / प्रेषण की पंजी संधारित नहीं करने पर	10,00,000 / —
8	खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं करने पर	वृक्षारोपण में 50 वृक्ष तक कमी के लिए 5,00,000 / — एवं 50 वृक्ष से अधिक की कमी होने पर 5,00,000 / — के अतिरिक्त प्रति वृक्ष 2000 / — रू0

(2) लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे एवं ढंके हुए वाहनों से क्रियान्वित किया जाएगा। बिना ढंके अथवा विशिष्ट रंग से बिना रंगे लघु खनिज के परिवहन करने अथवा जी0पी0एस0 डिवाइस में छेड़छाड़ करने एवं बंद करने पर लिए निम्न प्रकार दण्ड अधिरोपित की जा सकेगी —

क्र0 स0	विषय	जुर्माना (रू0 में)	
1	बिना ढ़के लघु खनिज के परिवहन करने पर	ट्रैक्टर	5,000 / —
		अन्य बड़े वाहन	25,000 / —
2	बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहन के लिए चालान निर्गत करने पर	प्रथम बार उल्लंघन के लिए	1,00,000 / —
3	खनिज परिवहन के दौरान वाहन में अधिष्ठापित जी0पी0एस0 डिवाईस में छेड़छाड़ करने या बंद करने पर	अन्य बड़े वाहन के लिए	1,00,000 / —

नोटः— क्रम संख्या— 1 एवं 3 में उल्लिखित उल्लंघनों के लिए वाहन के मालिक पर तथा क्रम संख्या 2 के लिए पट्टाधारी पर दंड खनन अधिकारी द्वारा लगाया जाएगा।

(3) पट्टाधारी द्वारा खनिज के अवैध परिवहन को प्रोत्साहित करने की स्थिति में (वैध चालान से अधिक मात्रा वाहन में लादने की स्थिति में) समाहर्त्ता / खनन अधिकारी द्वारा प्रथम बार ₹5,00,000 / — (रूपये पाँच लाख) (प्रत्येक गाड़ी पर) का दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

(4) उप नियम— (1), (2) एवं (3) के उल्लंघन के मामलों में, यदि जुर्माना का भुगतान एक माह के अन्दर नहीं किया जाता है या उल्लंघनों में सुधार नहीं किया जाता है या पट्टेधारी ऐसे उल्लंघन में एक बार से अधिक संलिप्त पाया जाता है, तो खनन पट्टा अधिकतम तीन माह के लिए निलंबित की जा सकेगी। उसके बाद, यदि उल्लंघनों में सुधार नहीं किया जाता है या जुर्माना का भुगतान नहीं किया जाता है, तो समाहर्त्ता द्वारा उचित सुनवाई का मौका देते हुए खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

(5)(i) प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर खनन करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा—21(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जाएगी एवं अन्य किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खनन पट्टा भी रद्दकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन करने पर या खनन पट्टा क्षेत्र में अनुमान्य गहराई से अधिक खनन करने की दशा में उत्खनित खनिज की मात्रा का आंकलन कर समाहर्त्ता द्वारा शास्ति सहित नियम—56 में परिभाषित खनिज मूल्य की वसूली की जायेगी एवं अन्य किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खनन पट्टा भी रद्दकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) उप नियम—(4) एवं (5) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई के लिए पट्टाधारी किसी क्षतिपूर्ति या पट्टावधि के विस्तार, जो कुछ भी हो, का पात्र नहीं होगा।

(7) जो कोई भी उप नियम 30(1), (2), (3) एवं (5) का उल्लंघन करता है एवं भुगतान करने से इन्कार करता है, तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा कारावास से जिसे 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, से दण्डणीय होगा।

(8) पट्टाधारी का कर्तव्य होगा कि पट्टा क्षेत्र के 500 मीटर त्रिज्या के भीतर किसी भी अवैध खनन के संबंध में समाहर्त्ता या जिला खनन अधिकारी को सूचित करें, यदि पट्टाधारी ऐसे अवैध खनन के बारे में समाहर्त्ता या जिला खनन अधिकारी को लिखित रूप से सूचित करने में विफल रहता है तो, इस प्रकार के अवैध गतिविधि पाई जाने की दशा में यह माना जायेगा की अवैध गतिविधि पट्टाधारी द्वारा की गयी है तथा बंदोबस्तधारी पर इस नियमावली के तहत् की गयी अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा नियम 56 एवं 47 के तहत् कार्रवाई के लिए पट्टाधारी उत्तरदायी होगा।

12. उप नियम 28(4) के बाद निम्नलिखित उप नियम 28(5) एवं 28(6) जोड़े जाएंगे:-

28(5)– पट्टेधारी/समानुदानधारक को पट्टा समाप्ति या पर्यवासन या किसी अन्य तरीके से समाप्ति के पश्चात् पट्टा क्षेत्र से किसी भी परिस्थिति में किसी उत्खनित/विस्फोटित/उत्पादित /क्रशड सामग्री या कोई अन्य खनिज, जिसमें कोई खनिज सामग्री शामिल है, को हटाने की अनुमति नहीं होगी।

28(6)– इस नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, उप नियम 28(1) (रद्दीकरण एवं जब्ती की सीमा तक) एवं उप नियम 28(2), (3), (4) एवं (5) के प्रावधान सभी लघु खनिजों पर लागू होंगे।

13. कंडिका 29(क)(4)(ii) के बाद निम्नलिखित कंडिका 29(क)(4) (iii) जोड़ा जाएगा:-

(iii) प्रत्यार्पित बालूघाट के मामले में न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण पूर्व समानुदानधारक के प्रारंभिक पट्टा वर्ष के लिए नीलामी राशि के समतुल्य किया जाएगा।

परंतु विभाग, समाहर्त्ता की अनुशंसा एवं विभागीय तकनीकी समिति की प्रतिवेदन पर, लोकहित एवं खनिज निक्षेपों के व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक होने पर उपरोक्त उप नियम के कंडिका (ii) के अनुसार न्यूनतम सुरक्षित मूल्य को पुनरीक्षित कर सकता है।

परंतु यह कि, प्रत्यार्पित बालूघाट को केवल पूर्व समानुदान की शेष अवधि के लिए ही पुनर्बंदोबस्त किया जायेगा।

14. नियम 29(क)(5) में शब्द "उसकी प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी" के स्थान पर शब्द "उसका अग्रधन जमा (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

15. नियम 29(ख)(3) में नया परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

परंतु यदि बंदोबस्तधारी इस नियमावली में निर्दिष्ट किस्तों का भुगतान करने में असफल रहता है, तो समाहर्त्ता द्वारा आगे ई–चालान निर्गमन निलंबित कर दिया जाएगा तथा बकाया राशि ब्याज सहित भुगतान के बाद ही पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

16. उप नियम 29(ख)(4) को शीर्षक सहित निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

भुगतान में चूक।– निर्धारित तिथि के भीतर किसी भी किस्त का भुगतान में चूक के मामले में 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दो माह तक प्रभारित की जायेगी और उसके बाद खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

17. नियम 29(च) को शीर्षक सहित निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

29(च) धर्मकाँटा एवं सीसीटीवी का अधिष्ठापन– प्रत्येक बालूघाट पर केंद्रीय सर्वर से एकीकृत एक इलेक्ट्रॉनिक धर्मकाँटा का अधिष्ठापन हो सकेगा, हॉलांकि निकटवर्ती बालूघाटों के लिए विभाग कॉमन धर्मकाँटा के उपयोग की अनुमति दे सकता है। प्रत्येक समानुदानधारक को धर्मकाँटा पर एवं विभाग द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा जो विभाग से जुड़ा होगा तथा प्रत्येक समानुदानधारक को अंतिम छह माह के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप अनिवार्य रूप से बनाए रखना/पुनर्स्थापन करना होगा तथा आवश्यकता होने पर इसे प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समानुदानधारक द्वारा उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर इस नियमावली के तहत दंड का भागी होगा तथा उचित धर्मकाँटा स्लिप/ई–चालान के बिना बालू परिवहन करते पाये जाने वाले किसी भी वाहन को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत जब्त किया जा सकेगा।

18. नियम 30(1) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(1) साइन बोर्ड अधिष्ठापित नहीं करने, भू–निर्देशांक सहित सीमा स्तंभ चिह्नित नहीं करने, सीसीटीवी फुटेज का बैकअप नहीं बनाए रखने तथा तालिका में उल्लिखित अन्य उल्लंघनों के लिए समाहर्त्ता द्वारा बंदोबस्तधारी के विरुद्ध निम्नलिखित दंड लगाया जा सकेगा :–

क्र0 सं0	उल्लंघन का प्रकार	दंड (रुपये में)
1	साइन बोर्ड अधिष्ठापित नहीं करने पर	1,00,000 / —
2	भू—निर्देशांक सहित सीमा स्तंभ चिह्नित नहीं करने पर	5,00,000 / —
3	अंतिम छह माह के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप नहीं बनाए रखने / पुर्नस्थापित नहीं करने पर।	5,00,000 / — प्रथम उल्लंघन के लिए एवं 10,00,000 / — द्वितीय उल्लंघन के लिए तथा तृतीय उल्लंघन के बाद, उचित सुनवाई का अवसर देने के उपरांत पट्टा रद्द किया जा सकता है।
4	निर्धारित समय के भीतर विभागीय पोर्टल पर मासिक रिटर्न अपलोड नहीं करने पर	1,00,000 / —
5	पानी का छिड़काव नहीं करने पर	1,00,000 / —
6	प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने पर	1,00,000 / —
7	उत्पादन / प्रेषण की पंजी संधारित नहीं करने पर	10,00,000 / —
8	खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं करने पर	1,00,000 / —

19. नियम 30(4) के बाद निम्नलिखित नया "नोट" जोड़ा जाएगा :—

नोटः—क्रम संख्या— 1, 2 एवं 4 में उल्लिखित उल्लंघनों के लिए वाहन के मालिक पर तथा क्रम संख्या 3 के लिए खनिज समानुदान धारक पर दंड खनन अधिकारी द्वारा लगाया जाएगा।

20. उप नियम 30(6) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 30(7) जोड़ा जाएगा :—

बंदोबस्तधारी का कर्तव्य होगा कि पट्टा क्षेत्र के 500 मीटर त्रिज्या के भीतर किसी भी अवैध खनन के संबंध में समाहर्त्ता या जिला खनन अधिकारी को सूचित करें, यदि बंदोबस्तधारी ऐसे अवैध खनन के बारे में समाहर्त्ता या जिला खनन अधिकारी को लिखित रूप से सूचित करने में विफल रहता है तो, इस प्रकार के अवैध गतिविधि पाई जाने की दशा में यह माना जायेगा की अवैध गतिविधि बंदोबस्तधारी द्वारा की गयी है तथा बंदोबस्तधारी पर इस नियमावली के तहत् की गयी अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा नियम 56 एवं 47 के तहत् कार्रवाई के लिए बंदोबस्तधारी उत्तरदायी होगा।

21. नियम 37(4) में नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा :—

परन्तु कृषि, जल संसाधन, राजस्व, आपदा एवं अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद समाहर्त्ता संतुष्ट हो कि उसी वर्ष किसी व्यक्ति की खेती योग्य कृषि भूमि पर कोई लघु खनिज / बलुई मिट्टी जमा हो गई है तथा ऐसे लघु खनिज / बलुई मिट्टी हटाने से भूमि को खेती योग्य स्थिति में बहाल किया जा सकता है, तो समाहर्त्ता नदी तट से तीन किलोमीटर की दूरी के प्रावधान को शिथिल / मुक्त कर सकता है तथा ऐसे मामलों में वह उक्त खनिज के निपटान के लिए परमिट जारी कर सकेगा, यदि यह उक्त क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टा प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त न करे जिसके संबंध में लघु खनिज / बलुई मिट्टी निकासी के लिए परमिट प्राप्ति हेतु आवेदन किया गया है। ऐसे मामलों में, सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

परन्तु एक खनिज निपटान परमिट के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र 5 (पांच) हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।

22. उप नियम 39(1) के कंडिका (घ) के प्रारंभ में शब्द "कहीं और उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, कोई तथा" जोड़ा जाएगा।

23. उप नियम 39(1) के बाद निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

परंतु मध्यम व्यवसायी श्रेणी एवं वृहद् व्यवसायी श्रेणी के लिए प्राप्त भण्डारण अनुज्ञप्ति क्रमशः 10,000 / — (दस हजार मात्र) रुपये एवं 50,000 / — (पचास हजार मात्र) रुपये के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाएगा।

24. नियम 46(2) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

प्रत्येक खनिज समानुदान धारक को प्रत्येक माह के पंद्रहवें दिन तक सक्षम अधिकारी के समक्ष **प्रपत्र—'झ'** में खनिज के लिए सत्य एवं सही रिर्टन प्रस्तुत करेंगा, और इस उद्देश्य के लिए विकसित विभागीय पोर्टल पर इसे ऑनलाइन अपलोड करेगा।

25. नियम 50 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

50— खनिज समानुदान धारक द्वारा कारोबार छोड़ने का विकल्प।—

(1) इन नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, खनन पट्टा अवधि के लगातार तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत किसी भी समय समाहर्त्ता, को छः महीने का नोटिस देते हुए

कारोबार छोड़ने का विकल्प दे सकेगा, इस संबंध में निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने के चार महीने के भीतर समानुदान धारक को संसूचित कर दिया जाएगा। समाहर्त्ता आवेदन की योग्यता पर विचार करने और संतुष्ट होने पर, ऐसे समानुदान धारक को व्यापार छोड़ने की अनुमति दे सकेगा।

परंतु यदि खनिज समानुदान धारक ने अपनी नीलामी राशि या बंदोबस्त राशि का भुगतान नहीं किया है अथवा अद्यतन प्रतिभूति राशि जमा नहीं की है या बंदोबस्ती के किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है तो निकास आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जब निकासी आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ–साथ समानुदान धारक द्वारा भुगतान की गयी अन्य राशि को जप्त कर लिया जायेगा।

(2) निकास आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में, खनिज समानुदान धारक को आगामी वर्षो के भुगतानों से संबंधित किसी भी दायित्व से छूट दी जा सकेगी और ई–चालान के उस विशेष बंदोबस्ती अवधि के लिए ही जारी रखा जाएगा (जिसके लिए उसने पहले ही अपनी बंदोबस्ती राशि का भुगतान कर दिया है), वशर्ते बंदोबस्ती की अन्य शर्ते पूरी हो। निकास आवेदन स्वीकृत होते ही, समाहर्त्ता एक नई बिडिंग के लिए व्यवस्था की शुरूआत करेगा जिसपर बंदोबस्तधारी को आपत्ति करने का कोई आधिकार नहीं होगा।

(3) यदि निकास आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो खनिज समानुदान धारक संपूर्ण बंदोबस्ती अवधि तक सभी बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही खनिज ब्लॉक का संचालन न किया गया हो। जब तक ब्लॉक की नीलामी नहीं हो जाती और नया पट्टा विलेख निष्पादित नहीं हो जाता या जारी बंदोबस्ती अवधि पूर्ण नहीं हो जाती (जो भी पहले हो)। ऐसे मामलों में यदि इस नियमावली के तहत् निर्धारित भुगतान चक्र के अनुसार किस्त राशि सहित अन्य सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ई–चालान निर्गमन रोक दिया जाएगा और संपूर्ण ब्याज सहित बकाया राशि के भुगतान के पश्चात् ही इसे पुनः शुरू किया जाएगा।

(4) धोखाधड़ी या खनन या पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन या किसी अन्य अनियमितता होने के मामले में, खनिज समानुदान धारक को कारोबार छोड़ने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। यद्यपि अपराध या उल्लंघन का समन हो गया हो, समानुदान धारक को बंदोबस्ती छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) समानुदान प्रत्यर्पण के मामले में, प्रत्यर्पित समानुदान की अवधि पूर्ण होने तक एवं सभी बकाया वसूल होने तक खनिज समानुदान धारक को किसी भी रूप में कोई अन्य नया पट्टा/समानुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध खनिज समानुदान धारक के निदेशक/मालिक/न्यासी/साझेदार वाले सभी अन्य कानूनी इकाइयों (कंपनी/फर्म/ट्रस्ट/साझेदारी आदि) पर भी लागू होगा।

26. **नियम 51(1)(ग) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 51(1)(घ) जोड़ा जाएगा :–**

नियम 51(1)(घ)।– पर्यावरण प्रबंधन शुल्क एवं प्रबंधन शुल्क :-

(क) प्रत्येक खनन समानुदान धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–सह–खनन पट्टा या परमिट धारक या किसी अन्य समानुदान धारक को, स्वामिस्व एवं अन्य करों के अतिरिक्त वार्षिक नीलामी/बंदोबस्ती राशि/समेकित स्वामिस्व/स्वामिस्व का 1%, या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर के बराबर राशि पर्यावरण प्रबंधन शुल्क एवं प्रबंधन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। यह दर सभी पट्टों के मामले में वार्षिक नीलामी/पट्टा राशि के विरुद्ध गणना की जायेगी, ईंट मिट्टी के मामले में निर्धारित श्रेणी के अनुसार समेकित स्वामिस्व/परमिट धारक द्वारा देय रॉयल्टी के विरुद्ध गणना की जाएगी। विद्यमान पट्टा धारक/परमिट धारक/खनिज समानुदान धारक भी इस शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) इस मद में एकत्रित राशि का उपयोग विभाग द्वारा संचालित विद्यमान सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशनों के रख–रखाव एवं सुदृढ़ीकरण तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम एवं/या पर्यावरण संरक्षण एवं/या बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित उद्देश्य के लिए की जाएगी।

(ग) निर्धारित तिथि तक भुगतान में चूक के लिए, खनिज समानुदान धारक से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

(घ) उपरोक्त प्रावधान विभाग द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।

परंतु यदि उपरोक्त नियमों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो खान एवं भूतत्व विभाग ऐसे प्रावधान बना सकता है जो कठिनाई को दूर करने के लिए उपयुक्त, आवश्यक या समीचीन हो।

27. कंडिका 56(1)(ii) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(ii) कोई व्यक्ति किसी खनिज का परिवहन अथवा भण्डारण बिना वैध चालान और/या इस नियमावली के नियम–41 के तहत विनिर्दिष्ट ट्रांजिट पास के नहीं करेगा अथवा करवायेगा। साथ ही खनिज का परिवहन अवास्तविक, अनिबंधित एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से नहीं करेगा।

28. उप नियम 56(2) के कंडिका (iv) में शब्द समूह ''बिना विधिक अधिकार के भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतेय कर'' के बाद शब्द, "आदि" जोड़ा जाएगा।

29. उप नियम 56(2) के कंडिका (vi) में नया परन्तुक जोड़ा जाएगा :-

परन्तु यह कि, वाहनों में खनिज की मात्रा के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, जहाँ चालान में खनिज की मात्रा केवल आयतन के रूप में उल्लिखित हो, वहाँ खनिज की मात्रा का आयतन आधारित आंकलन/निर्धारण मानक माप टेप के माध्यम से किया जा सकेगा। तथापि, जहाँ चालान में खनिज की मात्रा आयतन तथा/अथवा वजन के रूप में उल्लेखित हो, वहाँ खनिज की मात्रा का आंकलन केवल धर्मकाँटा के माध्यम से ही किया जाएगा।

30. उप नियम 56(7) का कंडिका (iv) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

सभी अधिगृहीत औजार, आयुद्ध, नौका, वाहन, रस्सी, जंजीर अथवा अन्य सामग्री, जिनमें खनिज भी सम्मलित होगें, को सरकारी नियमों के अन्तर्गत नीलाम किया जायेगा।

31. उप नियम 67(3) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 67(4) जोड़ा जाएगा :-

67(4)– इन नियमों के अधीन दायर की जाने वाली कोई अपील के साथ ₹10,000/– की शुल्क राशि विभागीय शीर्ष के अंतर्गत जमा की जाएगी।

परंतु यह कि, ट्रैक्टर से संबंधित जब्ती/अधिहरण अथवा उससे संबंधित किसी अन्य मामले के विरुद्ध दायर अपील में अपील शुल्क ₹5,000/– मात्र होगा।

32. उप नियम– 67(4) के बाद नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा :-

परंतु यह कि, उपनियम 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा, यदि आवेदक अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न कर पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण है।

33. उप नियम 68(4) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 68(5) जोड़ा जाएगा :-

68(5)–इन नियमों के अधीन दायर की जाने वाली कोई पुनरीक्षण के साथ ₹10,000/– की शुल्क राशि विभागीय शीर्ष के अंतर्गत जमा की जाएगी।

परंतु यह कि, ट्रैक्टर से संबंधित जब्ती/अधिहरण अथवा उससे संबंधित किसी अन्य मामले के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण में पुनरीक्षण शुल्क ₹5,000/– मात्र होगा।

34. नियम 84 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

84 निदेश जारी की शक्ति :–

(1) खनिज निक्षेपों के व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, सतत विकास एवं पर्यावरण के संरक्षण के हित में अथवा इन नियमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए विभाग, खनन पट्टा/बंदोबस्ती/किसी अनुज्ञप्ति/परमिट के स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा धारक को आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश का अनुपालन, यथास्थिति, खनन पट्टा/ बंदोबस्ती/किसी अनुज्ञप्ति/परमिट के स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा धारक द्वारा किया जाएगा। यदि ऐसे किसी निदेश के पालन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वह उक्त निदेश के संशोधन अथवा निरस्तीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा इस संबंध में विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे निदेश का संशोधन या निरस्तीकरण कर सकेगा अथवा उसे यथावत पुष्टि कर सकेगा।

35. नियम 89 में नया परन्तुक निम्नप्रकार जोड़ा जाएगा।-

परन्तु यदि इन नियमों के अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच किसी प्रकार का कोई विरोध, असंगति या विसंगति उत्पन्न होती है, तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य एवं प्रभावी रहेगा।

36. प्रपत्र–'ख' के भाग VII–पट्टेधारी/पट्टेधारियों की प्रसंविदाएँ की कंडिका–7 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

भाग VII) पट्टेधारी/पट्टेधारियों की प्रसंविदाएँ कंडिका 7 :-

कार्य चालान का निरीक्षण करने की अनुमति देना।– पट्टाधारी/पट्टाधारीगण ने केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, किसी भवन, उत्खनन या लीज में शामिल भूमि सहित परिसरों में निरीक्षण, परीक्षण, सर्वे, पूर्वेक्षण करने तथा उसका प्लान बनाने, नमूना लेने, किसी द्वारा संग्रहण के प्रयोजनार्थ स्वीकृति देंगे और लीजधारी/लीजधारीगण अपने द्वारा नियोजित तथा खानों तथा प्रभावकारी रूप से कार्यों से परिचित एवं उचित व्यक्ति के साथ ऐसे

अधिकारी, एजेंट, सेवक एवं मजदूरों को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण संचालित करने में सहायता करेंगे और खानों के कार्यों से संबंधित सभी सुविधाएँ तथा जानकारी. जिनको उन्हें युक्तियुक्त रूप से आवश्यकता हो, उन्हें मुहैया करेंगे तथा सभी आदेशों एवं विनियमों का अवश्य पालन करेंगे जिसे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण अथवा अन्यथा के फलस्वरूप समय–समय पर, अधिरोपित करना उचित समझे। यदि पट्टाधारी अथवा उसका प्रतिनिधि, इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए जा रहे निरीक्षण/तलाशी/जब्ती के दौरान जानबूझकर अथवा उद्देश्यपूर्वक सहयोग करने से इनकार करता है या सहायता प्रदान नहीं करता है, तो ऐसे निरीक्षण/तलाशी/जब्ती की कार्यवाही के दौरान की गई ऑडियो–वीडियो अभिलेखन को निरीक्षण प्रतिवेदन का अभिन्न अंग माना जाएगा। भले ही निरीक्षण प्रतिवेदन एकपक्षीय रूप से तैयार किया गया हो, निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित निष्कर्ष/टिप्पणियाँ पट्टाधारी पर बाध्यकारी होंगी तथा इस आधार पर पट्टाधारी द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की राहत का दावा नहीं किया जा सकेगा।

37. प्रपत्र–'ख' के भाग IX– सामान्य प्रावधान कंडिका–6–निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

भाग IX– सामान्य प्रावधान कंडिका 6 ।–

पट्टाधारी पट्टा की समाप्ति पर अपनी संपत्ति हटा सकेगा– पट्टाधारी पहले इस प्रस्तुतीकरण के कारण भुगतेय लगान, रॉयल्टी का भुगतान तथा कोई अन्य देय राशि एवं उन्मोचित कर उक्त अवधि की समाप्ति या पर्यवसान पर अथवा उसके बाद तीन कैलेंडर माह के भीतर अपने स्वयं के लाभ के लिए सभी या किसी मशीनरी, प्लांट, भवन तथा अन्य कार्य, संरचना, प्रसुविधाओं को, जो लीजधारी द्वारा उक्त भूमि पर खड़ा किए गए, लगाये गये या रखे गये हो, और जिसे लीजधारी इस अनुसूचि इस अनुसूची के भाग VII के खंड 18 के अधीन समाहर्त्ता को परिदत्त करने हेतु वचनबंध न हो/हों और जिन्हें समाहर्त्ता क्रय करने की इच्छा न रखता हो, हटा सकेगा।

परंतु यह कि, यदि पट्टाधारी द्वारा स्थापित या निर्मित उक्त मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा अन्य कार्य, संरचनाएँ एवं सुविधाएँ निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं हटाई जाती हैं, तो उन्हें सरकार की संपत्ति माना जाएगा।

परंतु यह भी कि किसी भी परिस्थिति में पट्टाधारी को पट्टा अवधि की समाप्ति, निरसन अथवा किसी अन्य प्रकार से पट्टा समाप्त होने के पश्चात पट्टा क्षेत्र से किसी भी प्रकार की उत्खनित/विस्फोटित/उत्पादित/क्रश्ड सामग्री या अन्य किसी खनिज पदार्थ, जिसमें कोई भी खनिज सामग्री सम्मिलित हो, को हटाने की अनुमति नहीं होगी।

38. विद्यमान अनुसूची–III 'क' के क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 16 के स्तंभ 2 एवं 3 तथा संपूर्ण अनुसूची–IIIB को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

अनुसूची III–क

[नियम 51(1)(ख) देखें]

क्रमांक	रॉयल्टी खनिजों का नाम	प्रति घन मीटर दर रुपये में
1	**2**	**3**
1	(क) बोल्डर, ग्रेवल, शिंगल अथवा पत्थर चाहे जिस नाम से परिभाषित हो (ख) नीलामी की रीति से बंदोबस्त पत्थर	500 नीलामी की दशा में नीलामी की राशि।
2	(क) 05 महत्वपूर्ण नदियों यथा सोन, किउल, फल्गु, चानन एवं मोरहर में उपलब्ध बालू (ख) गंगा नदी के दक्षिण में अवस्थित अन्य नदियों में उपलब्ध पीला बालू (ग) गंगा नदी सहित गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित सभी नदियों में उपलब्ध सफेद बालू (घ) नीलामी की रीति से बंदोबस्त बालू	175 100 75 नीलामी के मामले में नीलामी की राशि।
3	ईंट मिट्टी (400 मानक ईंटों के बराबर)	40
4	साधारण मिट्टी/क्ले जिसका उपयोग बाँध, सड़क, रेलवे, भवन, आदि के निर्माण के प्रयोजन में भरने तथा लेवल करने आदि तथा अन्य वाणिज्यिक कार्य हेतु जिसका उपयोग किया जाता हो।	75
16	स्टोन डस्ट	500

अनुसूची III–ख
[नियम 38(1) देखें]

क्रमांक	क्षेत्र की श्रेणियां	जिला का नाम एवं क्षेत्र	क्षमता स्तंभ 3 में दिखाये गए क्षेत्र में स्थित प्रति स्थायी चिमनी अथवा बंगला भट्ठा के निर्मित ईंट	स्वामिस्व–प्रति भट्ठा प्रतिवर्ष देय स्वामिस्व की राशि जो स्तंभ 4 में निर्धारित ईंट की संख्या पर देय है (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	I	पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र	45 लाख ईंटें	₹4,50,000.00
2	II	अन्य शहरी क्षेत्र	35 लाख ईंटें	₹3,50,000.00
3	III	ग्रामीण क्षेत्र	25 लाख ईंटें	₹2,50,000.00
4	IV	बंगला भट्ठा	01 (एक लाख) ईंटें	₹10,000.00

प्रवर्त्तन की तिथि :– 1. अनुसूची–III 'क' के क्र.सं. 1 एवं 16 का संशोधित रॉयल्टी दर उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।

2. ईंट मिट्टी की संशोधित रॉयल्टी दर (अनुसूची–III 'क' के क्र.सं. 3) एवं परिणामस्वरूप अनुसूची– III 'ख' की दरें ईंट सत्र 2026–27 अर्थात् 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी जाएँगी तथा आगे किसी संशोधन अथवा परिवर्तन किये जाने तक प्रभावी रहेगी।

आदेश से,
सुनील चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Mines and Geology Department

Notification

The 6th May 2026

No.- Pra-II/Avaidh Khanan-30/2022-2961/M—In exercise of the powers conferred by section 15 read with section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019 :-

1. ***Short title, extent and commencement:-***

(1) These rules shall be called the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) (Amendment) Rules, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

2. ***A new clause (viii)(a) shall be added after clause (viii) in sub rule 2(1) as follows.—***

(viii)(a) ***"Director of Exploration"*** means the Director of Exploration appointed as such by the State Government;

3. **A new clause (xix)(a) shall be added after clause (xix) in sub rule 2(1)as follows:**

(xix)(a) ***"Geologist"*** means an officer appointed by the Government to perform the duties of Geologist for the purpose of these rules;

4. **The following Rule 4(A) shall be added after Rule 4 as follows :**

4(A) ***Appointment of Director Exploration*.—**The State Government may, by notification, appoint a Director Exploration who shall be responsible for Exploration of mineral resources in the State.

5. **The following Rule 8(A) shall be added after Rule 8 as follows :**

8(A) ***Power and Function of Director Exploration*.—**

(1) He shall head the Directorate of Exploration and shall exercise administrative control over all the Geologist of the Department.

(2) He shall be responsible for coordination with central and private exploration agencies, and scrutiny, examination and detailed analysis of exploration reports submitted by various exploration agencies including assessment of inputs, findings, recommendations, and all others related works pertaining to mineral exploration activities.

(3) He shall be responsible for exploration, identification and preparation of feasible mining blocks and for submission of the same to the department.

6. ***The following Rule 9(A) shall be added after Rule 9 as follows .—***

9(A) ***Duties of Geologist:-***

(1) It shall be the duty of the Geologist to conduct Reconnaissance Survey, Geological Mapping, Geophysical & Geochemical Survey, Drilling & Sub-surface Exploration, Resource Estimation and Feasibility & Report Preparation in accordance with the provisions of applicable rules.

(2) The Geologist referred shall-

(a) be responsible for periodic updating of minerals resources, maintenance of bore cores or samples and bore hole logs;

(b) plan for conservation of mineral resources and optimal utilisation of the minerals and ores in the mining leases;

(c) prepare a scheme of prospecting and carry out the investigation operation as per the scheme;

(d) prepare the necessary geological maps, plans and sections which are required to delineate the ore body;

(e) carry out petrological and mineralogical studies of host rock and mineralized zones;

(f) calculate ore reserves and its grade;
(g) work out the appropriate method of sampling and ensure preparation of samples accordingly;
(h) carry out all such orders and directions as may be specified from time to time by the State Government

7. ***Rule 14 (a) shall be substituted as follows.***—No Person shall acquire in the state with respect to any minor mineral, more than two mineral concessions.

Provided that the area granted to any single concession holder shall not exceed 200 (Two hundred) hectares.

Provided further that in case of settlement of sand, this limit shall be applicable only to rivers mentioned in clause 5(i) of Bihar Sand Mining Policy, 2019. For other rivers the department shall be competent to decide maximum number/ area of sand block, for each financial year once.

8. ***The following new sub Rule 17 (8) and 17 (9) shall be added after sub Rule 17(7) of the Rules .—***

17 (8) ***Financial Assurance.—***

(a) A Financial Assurance shall be furnished by the holder of the mineral concession, for due and proper implementation of the mining plan which includes progressive mine closure plan and final mine closure plan, which shall be as follows:-

Sr. No.	Type of Mineral Concession/ Permit	Financial Assurance (In Rs)
1	For concession holders of mineral sand	Rs. 60,000 /- (Sixty thousand rupees) per hectare
2	For Concession holders of mineral stone	Rs. 5,00,000/- (Five Lakhs rupees) per hectare

Provided that the minimum amount of Financial assurance to be furnished under sub rule 8(a) shall be Rs. 5,00,000/- (Five Lakh Rupees) for mineral sand and Rs. 30,00,000/- (Thirty Lakh Rupees) for stone mineral.

(b) The financial assurance shall be submitted in the form of fixed deposit receipt or bank guarantee from any nationalized bank or scheduled bank, duly pledged in favour of the Collector/Department/Authorized Officer by Department.

(c) The financial assurance shall be submitted to the Collector/ Department/ Authorized Officer prior to execution of the lease deed or sanction of licence concerned. In existing mines, lessee or licensee shall submit the same within three months from the date of commencement of these rules. Where lessee or licensee does not submit financial assurance within aforesaid time, a simple interest at the rate of 24 percent per annum shall be charged for such delay and mining activity of lease shall be stopped after two month of such delay. If amount of financial assurance is not deposited by the lease holder or settlement holder, then this amount along with interest shall be realized from security deposit at the end of lease period. No claim of compensation will be entertained in future in this context.

(d) The financial assurance shall be released on an application submitted by the lessee or licensee subject to condition that he has satisfactorily complied with the provisions of the closure plan and the same shall be verified by the officer authorized by Collector/Department concerned.

17 (9) ***Reclamation, Relief and Rehabilitation.—***

(a) Where the officer authorized by Collector/Department has reasonable ground to believe that the protective, reclamation and rehabilitation measures as envisaged in the mine closure plan in respect of which financial assurance was given has not been carried out in accordance with the mine closure plan, either fully or partially, the Collector/authorised officer shall forfeit the amount of financial assurance along with interest accrued thereon and same shall be deposited in District Mineral Foundation Trust.

Provided that no such action shall be taken without giving an opportunity of being heard to lessee or licensee concerned.

(b) Working in mining lease, quarry, licence or short term permit shall be carried out by formation of benches. Such benches in mineral and overburden including weathered mineral shall be formed separately and the benches in overburden or weathered mineral shall be kept sufficiently in advance so that their working does not interfere with the working of mineral.

(c) In order to ensure optimum production with minimum waste generation, every lease holder or licensee or short term permit holder shall endeavour to deploy machinery and equipment as per mining plan or mining scheme.

(d) The non-saleable mineral at quarry or mine bottom shall be regularly collected and transported to the surface and stacked separately. The quarry or mine floor shall be kept reasonably clear from debris. Small lumps of mineral shall, as far as possible, be segregated from the dumps and stacked separately for future use.

(e) The ground selected for dumping of top soil, overburden, waste material or non-saleable mineral shall be away from workings of quarry or mine. Before starting mining or quarrying operations, conceptual ultimate limits of the quarry or mine shall be determined and dumping ground shall be so selected that dumping is not carried out within the limits of the ultimate size of the quarry or mine except where simultaneous back filling is proposed.

9. ***The following clauses (viii) and (ix) shall be added in sub Rule 18 (2) .—***

(viii) In case the application for Consent To Establish/Consent To Operate (CTE//CTO) is not submitted to the competent authority within the stipulated time after issuance of environmental clearance, a penalty of Rs. 1,00,000/- for the first one week, Rs. 2,00,000/- for the next one week and 0.5% of the highest bid amount for the next two weeks will be imposed on the settlee. In case the imposed penalty is not deposited, the amount of penalty will be deducted from the security deposit. Thereafter, if the application for CTE/CTO is not submitted within next one week, the Collector shall be competent to cancel the LOI after issuing a show cause notice to the settlee and the security amount of settlee shall be forfeited.

(ix) Provided also that, if the Collector is satisfied at any time that the lessee is deliberately or intentionally delaying the process of obtaining any clearances/approvals at any stage, his security deposit shall be forfeited by the Collector.

10. ***Sub Rule 22 (3) along with heading shall be substituted as follows.—***

22 (3)- ***Mode of payment of Royalty/Settlement Amount.—***

(a) The auction amount shall be considered to be the settlement amount for the first year only. The settlement amount from 2nd year onwards shall be equivalent to 120% of the settlement amount of the preceding year.

(b) Other than security deposit, the lessee shall pay the settlement amount as per the following time table/payment schedule.

Instalment	Due date of payment
First instalment (50%)	(a) Before execution of lease agreement (for first year) (b) Sixty days before completion of one year from the date of execution of lease agreement during the first year and followed by same procedure in consecutive years.
Second instalment (25%)	Before completion of 03 months from the commencement of each concession year.
Third instalment (25 %)	Before completion of 06 months from the commencement of each concession year.

At the time of payment of first instalment by the lessee in each concession year, post-dated cheque for the amount of second and third instalments shall be deposited before the concerned Collector/Mining Officer.

Provided that mining lease auctioned before the commencement of this rule shall continue to deposit their bid amount in yearly basis in equal instalments and each instalment shall be deposited 60 (sixty) days before the completion of one year from the date of execution of the lease during the first year followed by the same procedure in the consecutive years.

Provided further that, if the lessee fails to make payment of instalments as prescribed in these rules, further generation of e-challan shall be suspended by the Collector and shall be resumed only after payment of dues along with interest.

Provided also that notwithstanding repugnant in these Rules or otherwise the lessee shall pay extra royalty for the quantity of mineral extracted and dispatched in excess of the quantity equivalent to auction amount.

11. ***New Rules 26A and 26B shall be added after Rule 26 as follows.—***

26A. ***Installation of Weighbridges and CCTVs.—***Each mining lease may have an electronic weigh-bridge, integrated with central server. Every lessee shall mandatorily install CCTV at weighbridges and at any other place as may be decided by department which shall be linked with department and every lessee shall necessarily upkeep/restore backup of CCTV footage of last six months and shall produce the same as and when required. Any lessee found to be violating any of the conditions mentioned above shall be liable to be penalised under these rules and any vehicle found carrying mineral without proper weighment slip/ e-challan shall be liable to be seized under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 or the rules made there under.

26B. ***Penalty on*** *lessee* ***in case of breach of terms.—***

(1) In case of not installing sign board, not demarcating boundary pillar with Geo Co-ordinates, not upkeeping backup of CCTV footage and in case of other violations mentioned in the table, following penalty shall be imposed by the collector against the lessee for first time violation.-

Sl. No.	Type of violation	Penalty (in Rs.)
1	Not installing sign board	1,00,000/-
2	Not demarcating boundary pillar with Geo Co-ordinates	5,00,000/-
3	Not upkeeping/restoring backup of CCTV footage of last six months	5,00,000/-

Sl. No.	Type of violation	Penalty (in Rs.)
4	Not uploading Monthly Return online on departmental portal within prescribed timelines	1,00,000/-
5	Not sprinkling water	1,00,000/-
6	Not having adequate lighting arrangements	1,00,000/-
7	Not maintaining register of production/dispatch	10,00,000/-
8	Not planting trees as per mining plan	5,00,000/- for deficit in plantation upto 50 trees and for deficit beyond 50 trees, Rs 2000/- per tree in addition to 5,00,000/-.

(2) Transportation of minor minerals shall be carried out only in covered vehicles painted in a specific colour. In case minor mineral is transported uncovered or without being specifically coloured or tampering/switching off the GPS device, following penalties may be imposed-

Sl. No.	Subject	Fine (in Rs.)	
1	On Transportation of uncovered minor mineral	Tractor	5,000/-
		Other heavy vehicles	25,000/-
2	On issuance of challan for a vehicle painted without the specific colour	for first time violation	1,00,000/-
3	On tampering or switching off the GPS device installed in the vehicle during Mineral transportation.	Tractor	20,000/-
		For other heavy vehicles	1,00,000/-

Note :- For violations mentioned in serial no.- 1 and 3, penalty shall be imposed on owner of the vehicles and for serial no.- 2 penalty shall be imposed on lessee by the Mining Officer.

(3) In case the lessee encourages illegal transportation of minerals (In case of loading more quantity than the valid challan), penalty of Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakh) (on each vehicle) shall be imposed by Collector/Mining Officer for the first time violation.

(4) In case of violations of sub rules (1),(2) and (3), if the penalties are not deposited within one month or violations are not rectified or whenever lessee is found to be indulged in such violation for more than once, the mining lease may be suspended for a maximum period of 03 months. Thereafter, if the violation is not rectified or the penalty is not deposited, action for cancellation of mining lease shall be taken by the Collector after giving reasonable opportunity of being heard.

(5) (i) For mining, within the restricted area, penalties shall be imposed under Section 21 (1) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act and without prejudice to any other action that may be taken, the mining lease shall also be liable to cancellation.

(ii) For mining outside the mining lease area or mining more than the permissible depth in the mining lease area, the quantity of excavated mineral shall be assessed and the cost of mineral as defined in Rule 56 along with penalties shall be recovered by the Collector and without prejudice to any other action that may be taken, the mining lease shall also be liable to cancellation.

(6) For any action taken under sub rule (4) and (5), the lessee shall not be eligible for any compensation or extension of lease period whatsoever.

(7) Whoever contravenes the provision of sub rule 30 (1), (2),(3) & (5) and refuses to make payment shall be punished by the competent Court with imprisonment for a term which may extend upto two years.

(8) It shall be the duty of lessee to intimate the Collector or District Mining Officer regarding any illegal mining within a radius of 500 meter of the lease area. If the lessee fails to inform the Collector or District Mining Officer about such illegal mining in writing, then in the event of such illegal activity being found, the lessee shall be liable for action under rule 56 and rule 47 of the Rules, as if such illegal activity were carried out by him, besides any other legal action taken under the rules.

12. ***Sub Rule 28(5) and 28(6) shall be added after sub Rule 28(4) as follows .—***

28(5)- Lessee/Concession holder shall not be allowed to remove any extracted/ blasted/produced/crushed material or any other mineral which includes any mineral material, under any circumstances, from lease area after the expiry or determination of the lease or cessation by any other manner.

28(6)- Notwithstanding anything contained in these rules, provisions of sub rule 28 (1) (to the extent of revocation and forfeiture) and sub rule 28 (2), (3), (4) and (5) shall be applicable to all minor minerals.

13. ***A new clause 29(A) (4) (iii) shall be added after sub clause 29(A) (4) (ii) as follows.—***

(iii) In case of surrendered sand ghat, minimum reserve value shall be fixed as equivalent to the auction amount for the initial settlement year of previous concession holder.

Provided that Department may, on the recommendation of Collector and report of Departmental technical committee revise the minimum reserve value where it seems to be necessary in the public interest and systematic development of mineral deposits in accordance with the clause (ii) of above sub rule.

Provided further that surrendered sand ghat shall only be re-settled for the remaining period of the previous concession.

14. ***In the Rule 29A (5) for the words "his security deposit shall be forfeited", the words "his Earnest Money Deposit (EMD) shall be forfeited" shall be substituted.***

15. ***A new proviso shall be added in Rule 29B (3) .—***

Provided that, if the settlee fails to make payment of instalments as prescribed in these rules, further generation of e-challan shall be suspended by the Collector and shall be resumed only after payment of dues along with interest.

16. ***Sub Rule 29 (B) (4) along with heading shall be substituted as follows.—***

Default in Payment.—In case of default in payment of any instalment within prescribed date, a simple interest at the rate of 24 percent per annum shall be charged up to two months and after that action for cancellation of mining lease shall be initiated.

17. ***Rule 29 F along with heading shall be substituted as follows .—***

29F. Installation of Weighbridges and CCTVs- Each sandghats may have an electronic weigh-bridge, integrated with central server, However for adjacent sandghats, department may allow use of common weighbridge. Every concession holder shall mandatorily install CCTV at weighbridges and at any other place as may be decided by department which shall be linked with department and every concession holder shall necessarily upkeep/restore backup of CCTV footage of last six months and shall produce the same as and when required. Any Mineral Concession holder found to be violating any of the conditions mentioned above shall be liable to be penalised under these rules and any vehicle found carrying sand without proper weighment slip/ e-challan shall be liable to be seized under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 or the rules made there under.

18. ***Rule 30 (1) shall be substituted as follows.—***

(1) In case of not installing sign board, not demarcating boundary pillar with Geo Co-ordinates, not upkeeping backup of CCTV footage and in case of other violations mentioned in the table, following penalty shall be imposed by the collector against the settlee-

Sl. No.	Type of violation	Penalty (in Rs.)
1	Not installing sign board	1,00,000/-
2	Not demarcating boundary pillar with Geo Co-ordinates	5,00,000/-
3	Not upkeeping/restoring backup of CCTV footage of last six months	5,00,000/- for first violation and Rs. 10,00,000/- for second violation and after third violation, lease may be cancelled after giving reasonable opportunity of being heard.
4	Not uploading Monthly Return online on departmental portal within prescribed timelines	1,00,000/-
5	Not sprinkling water	1,00,000/-
6	Not having adequate lighting arrangements	1,00,000/-
7	Not maintaining register of production/dispatch	10,00,000/-
8	Not planting trees as per mining plan	1,00,000/-

19. ***A new "note" shall be added after Rule 30 (4) as follows.—***

For violations mentioned in serial no.- 1, 2 and 4, penalty shall be imposed on owner of the vehicles and for serial no.- 3 penalty shall be imposed on settlee by the Mining Officer.

20. ***A new sub Rule 30(7) shall be added after sub Rule 30(6) as follows.—***

It shall be the duty of settlee to intimate the Collector or District Mining Officer regarding any illegal mining within a radius of 500 meter of the lease area. If the

settlee fails to inform the Collector or District Mining Officer about such illegal mining in writing, then in the event of such illegal activity being found, the settlee shall be liable for action under rule 56 and rule 47 of the Rules, as if such illegal activity were carried out by him, besides any other legal action taken under the rules.

21. ***A new proviso shall be added in the rule 37(4) .—***

Provided that the Collector after verification by the officials of agriculture, water resources, revenue, disaster and any other department as he may deem necessary, is satisfied that any minor mineral/sandy soil deposition has occurred on the cultivable agricultural land of any person during the same year and that, removal of such any minor mineral/sandy soil will restore the land to cultivable condition, the Collector may relax/waive the provision of three kilometre distance from the river bank and in such cases he may issue permit for disposal of the said mineral if it does not obviates the necessity of obtaining a mining lease in the area in respect of which the permit for extraction of any minor mineral/sandy soil has been applied for. In such cases, all other conditions shall remain unchanged.

Further provided that the area granted under a single mineral disposal permit shall not exceed 5 (Five) hectares.

22. ***In the clause (d) of sub Rule 39 (1), the words "Notwithstanding anything mentioned elsewhere, any and" shall be added at the beginning.***

23. ***A new proviso shall be added in sub Rule 39 (1) .—***

Provided that the stockist licence obtained for medium businessmen category and large businessmen category shall be renewed every year only on payment of Rs. 10,000/- (Ten Thousand only) and Rs. 50,000/- (Fifty Thousand only) respectively.

24. ***Rule 46 (2) shall be substituted as follow.—***

Every Mineral Concession holder shall submit every month to the Competent Officer and upload online on departmental portal developed for this purpose, a true and correct return for minerals in Form **'I'** by the fifteenth day of the following month to which it relates.

25. ***Rule 50 shall be substituted as follows.—***

50- ***Exit option for Mineral Concession Holder.—***

(1) Notwithstanding anything contained in these rules, at any point after completion of three consecutive annual mineral concession period, Concession holder may opt to exit the business after giving Six months' notice to the Collector, on which decision shall be communicated to the Concession holder within four months of submission of application. The Collector after considering merit of application and on his satisfaction, may allow such Mineral Concession Holder to exit the business.

Provided that if Mineral Concession holder has not paid their auction amount or settlement amount or has not submitted updated security deposit or has violated any condition of settlement, then the Exit application shall be rejected.

Provided further that when exit application is rejected, the security deposit along with other payments made by Concession holder shall be forfeited.

(2) In case of acceptance of exit application, the Mineral Concession Holder may be exempted from any liabilities from future year payments and E-challan generation shall be continued only for that particular period of settlement (for which he has already paid his settlement amount) provided all other conditions of settlement are met. As soon as exit application is accepted, the Collector shall initiate arrangement for a fresh bidding, to which settlee shall have no right to object.

(3) If exit application is rejected, then Mineral Concession Holder shall be liable to pay all dues till end of full settlement period, even if the mineral block is not operated. The dues shall be liable till such time as the block is auctioned and fresh lease deed is executed or till the completion of ongoing settlement period (whichever is earlier). In such cases, if instalment amount along with all dues is not paid for next payment cycle as prescribed under these rules, then E-challan generation shall be stopped and shall be resumed only after full dues amount along with interest is paid.

(4) In case of fraud or violation of mining or environmental conditions or any other irregularities reported, no exit option will be available to the Mineral Concession Holder. Even if, the offense or violation has been compounded, concession holder will not be permitted to exit the settlement.

(5) In case of surrender of Concession, no other new lease/concession shall be granted to Mineral Concession Holder in any form till the period of concession for which the surrendered lease was granted and also till such time as all dues are recovered. This debarment shall also apply to all other legal entities (Company/Firm/Trust/Partnership etc.) of which the mineral concession holder is Director/ Proprietor/ Trustee/Partner.

26. ***A new clause 51(1) (d) shall be added after sub clause 51(1) (c) as follows:-***

Clause 51(1) (d): Environment Management Cess and Management fee.—

(i) Every holder of a mining lease or a prospecting licence cum mining lease or permit holder or any other concession, shall, in addition to the royalty and other taxes, shall pay an amount equal to 1% of annual auction/settlement amount/compounded royalty/royalty or at the rate as may be notified by the state government from time to time towards Environment Management Cess and Management fee. This rate shall be calculated against annual auction/settlement amount in case of all settlement, compounded royalty as per category fixed in case of brick earth/royalty payable by permit holder. Existing lease holder/permit holder/mineral concession holder shall also be liable to pay such fee.

(ii) The amount collected towards this head shall be utilised to maintain and strengthen the existing software and applications managed by department and in prevention of illegal mining, transportation and storage and/or for environment protection and/or for such purpose as may be notified by the Department of Mines and Geology, Government of Bihar from time to time.

(iii) For default in payment till prescribed date, simple interest at the rate 24 percent per annum shall be charged from the mineral concession holder.

(iv) The above provisions shall be deemed to be effective from the date as notified by the Department.

Provided that if any difficulty arises in giving effect to the provisions of above rules then the Department of Mines & Geology may make such provisions as it may deem fit, necessary or expedient for removing the difficulty.

27. ***Clause (ii) of sub rule 56 (1) shall be substituted as follows.—***

No person shall transport or store any mineral without a valid challan and/or transit pass specified under rule 41 of these Rules. Also, minerals will not be transported by unrealistic, unregistered and non-commercial vehicles.

28. ***In the clause (iv) of sub Rule 56 (2), the word ", etc." shall be added after word group "tax payable for acquiring land without legal rights".***

29. ***A new proviso shall be added in clause (vi) of sub Rule 56 (2) as follows.—***

Provided that, for ascertaining the quantity of mineral in vehicles, where quantity of mineral is mentioned in only volume terms on challan, the volumetric

estimation/assessment of quantity may be done by standard measurement tape. However, quantity of mineral shall be assessed only by means of weighbridge if the quantity of mineral mentioned in challan is in volume and/or weight.

30. ***Clause (iv) for Sub rule 56 (7) shall be substituted by the following.—***

All confiscated tools, arms, boats, vehicles, ropes, chains or other articles including minerals would be auctioned as per government rules.

31. ***After sub Rule 67 (3), the following new sub Rule 67 (4) shall be added as follows.—***

67 (4)- Any appeal filed under these rules shall be accompanied with a fee of Rs. 10,000/- to be deposited under the head of Department.

Provided that in case of appeal filed against the seizure/confiscation or any other matter related to tractors, fee for appeal shall be Rs. 5,000/- only.

32. ***A new proviso shall be added after sub rule 67 (4) .—***

Provided that an application for appeal may be entertained even after the time specified in sub rule 1 and 2, if the applicant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not making the application within time.

33. ***After sub Rule 68 (4), the following new sub Rule 68 (5) shall be added as follows.—***

68 (5)- Any revision filed under these rules shall be accompanied with a fee of Rs. 10,000/- to be deposited under the head of Department.

Provided that in case of revision filed against the seizure/confiscation or any other matter related to tractors, fee for revision shall be Rs. 5,000/- only.

34. ***Rule 84 shall be substituted by the following :***

84- Power to issue directions :-

(1) The Department may, in the interest of systematic development of mineral deposits, conservation of minerals, scientific mining, sustainable development and protection of the environment or towards proper implementation of these rules, issue direction to the owner, agent, manager or holder of the mining lease/settlement/any licence/permit.

(2) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied by the owner, agent, manager or holder of the mining lease/settlement/any licence/permit as the case may be, who in case of any difficulty in giving effect to any such direction, may apply for modification or rescinding of such direction and the officer so authorized by the Department in this regard, may either modify or rescind the direction or confirm the same.

35. ***A new proviso shall be added in Rule 89 as follows.—***

Provided that in the event of any conflict, inconsistency, or discrepancy between the English version and the Hindi version of these Rules, the English version shall govern and prevail.

36. ***Paragraph 7 of Part VII- THE CONVENANTS OF THE LESSEE/ LESSEES of form B shall be substituted as follows.—***

Part VII) THE CONVENANTS OF THE LESSEE/ LESSEE paragraph 7.—

To allow inspection of workings.—The lessee/lessees shall allow any officer authorized by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying, prospecting and making plans thereof sampling and collecting any data and the lessee/lessees shall with proper person employed by the lessee/lessees and acquainted with the mines and work effectually assist such officer, agents, servants and workmen in conducting every such inspection and shall afford them all facilities, information connected with the working of the mines which they may reasonably require and also shall and will conform to and observe all orders and regulations which the Central and State Governments as the result of such inspection or otherwise may, from time to time, see fit to impose. If the

lessee or his representative intentionally or deliberately refuses to cooperate or does not assist during inspection/search/ seizure by the officer authorised in this behalf, then during the course of such inspection/search/seizure, audio-video recording shall be considered to be a part of inspection report. Even if inspection report is ex-parte, findings/observations as contained in inspection report shall be binding to the lessee and no future relief can be sought by the lessee on this ground.

37. ***Paragraph 6 of Part IX- General Provision of form B along with heading shall be substituted as follows :***

Part IX- General Provision of form B : Paragraph 6

Lessee to remove his machinery etc on the expiry of lease.**—**The lessee having first paid and discharged the rents, royalties and any other dues/sum payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within three calendar months thereafter take down and remove for his own benefit all or any machinery, plant, building, and other works, erections and conveniences which may have been erected, set up on placed by the lessee in or upon the said lands and which the lessee is/are not bound to deliver to the Collector under clause 18 part VII of this schedule and which the Collector shall not desire to purchase.

Provided that, If the machinery, plant, building, and other works, erections and conveniences which has been erected, set up or placed by the lessee are not removed within specified time period then it shall be deemed to become Government property.

Provided further that under any circumstances, Lessee shall not be allowed to remove any extracted/blasted/produced/crushed material or any other mineral which includes any mineral material, from lease area after the expiry or determination of the lease or cessation by any other manner.

38. Column 2 & 3 of Sl. No. 1,2,3, 4 & 16 of Existing schedule IIIA and whole of Schedule IIIB shall be substituted by the following, namely:-

Schedule III-A

[See Rule 51(1)(b)]

Sl. No.	**Royalty Name of Mineral**	**Rate per cubic per meter in Rupees.**
1	**2**	**3**
1.	(a) Boulder, Gravel, Shingle or stone as defined by name whichever. (b) Stone settled by way of auction.	500 In case of auction the amount of auction.
2.	(a) Sand available in 05 important rivers viz Sone, Kiul, Falgu, Chanan & Morhar. (b) Yellow Sand available in Other rivers situated south of Ganga river. (c) White Sand available in other rivers situated north of Ganga river including Ganga river. (d) Sand settled by way of auction.	175 100 75 In case of auction the amount of auction
3.	Brick Earth (equivalent to 400 standard bricks)	40
4.	Ordinary Earth/Clay which is used for filling purpose in construction of embankment, Road, Railways, Building etc. and for other commercial works.	75
16.	Stone dust	500

Schedule III-B
[See Rule 38(1)]

Sl. No.	Categories of area	Name of district and area	capacity-fixed no. for the manufactured brick for fixed kiln and Bangla Bhatta situated in areas shown in column 3	Royalty- amount of royalty payable per kiln per annum on number of brick fixed in column 4 (in Rupees).
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	I	Urban areas of Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur, Gaya, Darbhanga, Districts	45 Lakh bricks	Rs. 4,50,000.00
2.	II	Other Urban areas	35 Lakhs bricks	Rs. 3,50,000.00
3.	III	Rural Areas	25 Lakhs bricks	Rs. 2,50,000.00
4.	IV	Bangla Bhatta	01(One Lakh) Bricks	Rs. 10,000.00

Entry into force :- 1. The Revised rate of royalty of Sl. No.- 1 and 16 of schedule- III-A shall be deemed to be effective from such date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint.

2. The Revised rate of royalty of brick earth (Sl. No.- 3 of schedule- IIIA) and consequently schedule- III B shall be deemed to be effective from brick session 2026-27 i.e. from 1st October 2026 until revised or modified further.

By Order,
SUNIL CHOUDHARY,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 448-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in